भारत सरकार
Government of India
जल संसाधन मंत्रालय
Ministry of Water Resources
गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग
Ganga Flood Control Commission

वार्षिक प्रतिवेदन 2011-12
ANNUAL REPORT 2011-12

पटना Patna

विषय सूची

अध्यक्ष के कलम से		ii
वर्ष 2011–12 की उपलब्धियां		iii
1.	प्रस्तावना	1
2.	बाढ़–प्रबंधन की बृहत् योजनाएं	11
3.	सड़क एवं रेल पुलों के नीचे जलमार्गों की पर्याप्तता का आंकलन	13
4.	बाढ़–प्रबंधन कार्यक्रम (राज्य खण्ड)	14
5.	बाढ़–प्रबंधन योजनाओं का मूल्यांकन	16
6.	राज्यवार चल रही बाढ़–प्रबंधन योजनाओं का मॉनिटरिंग	22
7.	नदी प्रबंधन क्रियाकलापों और सीमा क्षेत्रों से संबंधित कार्य	26
8.	पड़ोसी देशों के साथ सहयोग	29
9.	हिन्दी के प्रयोग की प्रगति	33
10.	प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं एवं सेमीनारों में भागीदारी	35
11.	विभिन्न समितियों में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का प्रतिनिधित्व	36

अध्यक्ष के कलम से

गंगा बेसिन में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश एवं दिल्ली राज्य आते हैं। मानसून अवधि के दौरान इसके एक क्षेत्र या अनेक क्षेत्रों में बाढ़ का आना एक वार्षिक घटना है। जैसा कि गंगा एक अन्तर्राज्जीय नदी है, अतः यह आवश्यक है कि बेसिन के बाढ़ से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए एक समेकित योजना बनायी जाय तथा इनका कार्यान्वयन समन्वित एवं सुनिश्चित तरीके से की जाए। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का गठन जल संसाधन मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में वर्ष 1972 में की गई। आयोग ने प्रारंभ से ही गंगा बेसिन क्षेत्र में बाढ़ से निपटने में राज्यों को मदद देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अपने एक अधिदेश के अनुसार आयोग ने गंगा बेसिन की सभी 23 नदी पद्धतियों की बृहत् योजना तैयार कर इन योजनाओं में दिए गए सुझावों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु इसे राज्य सरकारों को भेजा है।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने वर्ष 2011–12 में सौंपे गए कार्यों को पूरी दक्षता एवं प्रभावशाली ढंग से निष्पादित किया है जिसका विस्तृत वर्णन इस रिपोर्ट में दिया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई राष्ट्रीय महत्व की बाढ़–प्रबंधन कार्यक्रम की योजना में गंगा बाढ़ नियंत्रण योजना की सक्रिय भूमिका के बारे में विशेष रूप से उल्लेख है। इस दौरान इन योजनाओं पर अच्छी प्रगति हुई। वर्ष 2011–12 के दौरान गंगा बेसिन राज्यों को वित्तीय सहायता के रूप में 332.63 करोड़ रू. की राशि दी गई।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के अधिकारियों ने बाढ़ एवं जल निकास प्रबंधन से संबंधित विषयों में नेपाल एवं बंगलादेश सरकारों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। नेपाल में लालबकेया, बागमती और कमला जैसी अन्तर्राष्ट्रीय नदियों के तटबंध विस्तार की योजनाओं में अच्छी प्रगति हुई है। इच्छामती नदी की साझी सीमा में जल निकास अवरोध को दूर करने का काम पूरा किया गया है।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का वर्ष 2011–12 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है तथा मुझे विश्वास है कि यह प्रतिवेदन गंगा बेसिन में बाढ़–प्रबंधन के क्षेत्र में तथा अन्य संबंधित कार्यों में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की भूमिका और इसके योगदान की एक बृहत् छवि प्रस्तुत करेगा।

बिभास कुमार

(बिभास कुमार)
अध्यक्ष
गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग

वर्ष 2011–12 की उपलब्धियां

1. गंगा बेसिन राज्यों के 50 बाढ़ प्रबंधन योजनाओं का तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन किया गया। 15 योजनाओं को तकनीकी–आर्थिक रूप से गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग/ तकनीकी सलाहकार समिति–जल संसाधन मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई। जबकि 35 योजनाओं का परीक्षण किया गया और टीका–टिप्पणी राज्य सरकारों को भेजा गया।

2. बिहार, झारखण्ड, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 32 बाढ़–प्रबंधन योजनाओं का अनुश्रवण किया गया और वर्ष 2011–12 के दौरान केन्द्रीय सहायता के रूप में 332.63 करोड़ रूपये राज्यों को दिए गए।

3. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग नेपाल में कमला, वागमती और लालबकेया नदियों पर भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित तटबंध निर्माण कार्य का अनुश्रवण करती है। जल प्लावन एवं बाढ़–प्रबंधन पर गठित भारत–नेपाल संयुक्त समिति, जो उपरोक्त कार्यों की अनुश्रवण करती है, की जून 2011 और जनवरी 2012 में बैठकें हुई।

4. पश्चिम बंगाल में बंगलादेश के साथ साझी सीमा नदियों पर बाढ़–प्रबंधन योजनाओं और इच्छामती नदियों के गाद निकालने की योजना जिसका पूर्ण खर्च ''नदी प्रबंधन क्रिया–कलाप और सीमा क्षेत्र कार्यों'' का गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा अनुश्रवण किए गए।

5. अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जोकि कोसी उच्चस्तरीय समिति और गंडक उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं) के नेतृत्व में 2012 के बाढ़ के पूर्व कोसी नदी और गंडक नदी के दाहिने किनारे पर किए जाने वाले बाढ़ प्रबंधन कार्यों की अनुशंसाओं को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

6. कोसी और रूपनारायण–हल्दी–रसूलपुर नदी प्रणाली की बृहत् योजना के अद्यतन करने का कार्य प्रगति पर है।

7. केन्द्रीय जल मंत्री की अध्यक्षता में गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद् की 15वीं बैठक दिनांक 25.5.2011 को नई दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें बाढ़ और इसके प्रबंधन विषयों से संबंधित अनेक मुद्दों पर गंगा बेसिन राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार–विमर्श किए गए और इससे संबंधित निर्णय लिए गए।

1 प्रस्तावना

1.1 गंगा बेसिन में बाढ़ की समस्याएं

दो पवित्र नदियां अलकनन्दा और भागीरथी हिमालय के लगभग 7000 मी. की ऊंचाई पर स्थित हिम चोटियों से निकली हैं और देवप्रयाग के निकट एक हो गयी हैं। यह एकीकृत नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है और अपने रास्ते से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी के संगम तक 2525 कि.मी. दूरी तय करती है (जिसमें उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में 1450 कि.मी., उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा से सट कर 110 कि.मी., बिहार एवं झारखंड में 445 कि.मी. तथा पश्चिम बंगाल में 520 कि.मी. क्षेत्र में बहती है)। गंगा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला, बागमती एवं महानन्दा इसके बांयी ओर से मिलती है जबकि इसके दाहिने ओर से यमुना, टोन्स, सोन, किऊल, अजय, दामोदर, पुनपुन एवं रूपनारायण नदियां मिलती हैं। गंगा नदी, गंगा बेसिन राज्यों की एक प्रमुख जल निकास मार्ग है। यह गंगा बेसिन के कुल आवाह क्षेत्र 10.68 लाख वर्ग कि.मी. का जल निस्सरण करती है जिनमें से 8.61 लाख वर्ग कि.मी. भारत में अवस्थित है । इस प्रकार यह भारत के 26 प्रतिशत क्षेत्र का जल निस्सरित करती है। गंगा के मैदानी भाग की मिट्टी सामान्यतः जलोढ़ है। वाएं किनारे की सभी प्रमुख नदियां जो गंगा में मिलती है, उनका उद्गम स्थल हिमालय पर्वत है। जबकि, यमुना को छोड़कर जिसका उद्गम स्थल भी हिमालय है, शेष सभी विंध्य पर्वत श्रृंखला या फिर गंगा और विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित पठार से निकली है। विभिन्न गंगा बेसिन राज्यों में से बिहार राज्य का मुख्यतः उत्तरी भाग, उत्तर पदेश का पूर्वी भाग एवं पश्चिम बंगाल बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित राज्य हैं। बाढ़ की समस्या अन्य गंगा बेसिन राज्यों में इतनी गंभीर नहीं है।

गंगा बेसिन में बाढ़ की समस्याओं के संक्षिप्त कारण निम्न हैंः–

1. आवाह क्षेत्र में लम्बी अवधि तक भारी वर्षा का होना।
2. वर्षा ऋतु में गंगा नदी द्वारा जल निकास मार्ग का अवरूद्ध होना।
3. वर्षा ऋतु के दौरान नदी द्वारा तट का कटाव।
4. नदी के विसर्पी होने के कारण भूमि, सम्पत्ति एवं जीवन की क्षति।
5. तटबंधों की अपर्याप्त क्षमता।
6. बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं की खराब अनुरक्षण के फलस्वरूप वर्षा ऋतु के दौरान उनका क्षतिग्रस्त होना।
7. नदियों के बाढ़ प्रवृत मैदानी क्षेत्र में अवस्थित गांवों का जलमग्न होना।

गंगा नदी एवं इसकी सहायक नदियों का तल ढलान ऊपरी क्षेत्र में बहुत अधिक ढालू है, जो कि आगे मध्य क्षेत्र में समतल और निचले क्षेत्र में तल बराबर हो जाता है। ऊपरी मार्ग में गंगा नदी अत्यधिक कटाव तथा तल क्षरण के लिए प्रबल मानी गयी है यानि बहुत खराब अवनति। प्रवाह द्वारा क्षरित पदार्थ नीचे आ जाते हैं तथा मध्य मार्ग कटाव एवं अधिवृद्धि दोनों ही के साक्षी हैं। निचला क्षेत्र जहां का तल ढलान समतल है तथा वेग कम है, ऐसे में संचयन प्रक्रिया अर्थात् नदी तल का अवसादन एवं अभिवृद्धि प्रबल होती है। गंगा नदी की विशर्पी अवस्था के कारण कटाव एवं अवसादन की घटना एक साथ होती है।

गंगा बेसिन 11 राज्यों यथा– उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, राज्यों में फैला है। गंगा बेसिन को 23 नदी पद्धतियों में विभाजित किया गया है। बेसिन के नदी पद्धति इस प्रकार हैं :–

1. गोमती
2. अधवारा समूह
3. घाघरा
4. महानन्दा
5. कमला बलान
6. बूढ़ी गंडक
7. बागमती
8. पुनपुन
9. कोसी
10. गंडक
11. अजय
12. किऊल हरोहर
13. दामोदर
14. मयूराक्षी
15. यमुना
16. रामगंगा
17. टोन्स
18. बदुआ–चन्दन
19. रूपनारायण–हल्दी–रसूलपुर
20. जलंगी
21. सोन
22. टाइडल नदियां
23. गंगा की मुख्य धारा

इनमें से अधिकांश नदियां अन्तर्राज्जीय हैं तथापि कुछ एक राज्यीय हैं।

इन राज्यों का बाढ़ से प्रभावित कुल क्षेत्र 20.40 मिलियन हे0 है जो देश में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का लगभग 50 प्रतिशत है तथा इससे हर साल बार–बार बाढ़ के कारण जान–माल की भारी क्षति होती है ।

गंगा बेसिन में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की राज्यवार ब्योरा नीचे दिए गए हैं :–

क्र. सं.	राज्य	राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा किया गया आंकलन	10वीं योजना हेतु डब्लू. जी. को राज्यों द्वारा की गई रिपोर्ट
1.	हिमाचल प्रदेश	2.30	2.31
2.	हरियाणा	23.50	23.50
3.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.50	0.70
4.	उत्तर प्रदेश(उत्तराखंड सहित)	73.36	73.40
5.	राजस्थान	32.60	32.60
6.	मध्य प्रदेश(छत्तीसगढ़ सहित)	2.60	3.37
7.	बिहार (झारखंड सहित)	42.60	68.80
8.	पश्चिम बंगाल	26.50	37.66
	कुल	**203.96**	**242.34**

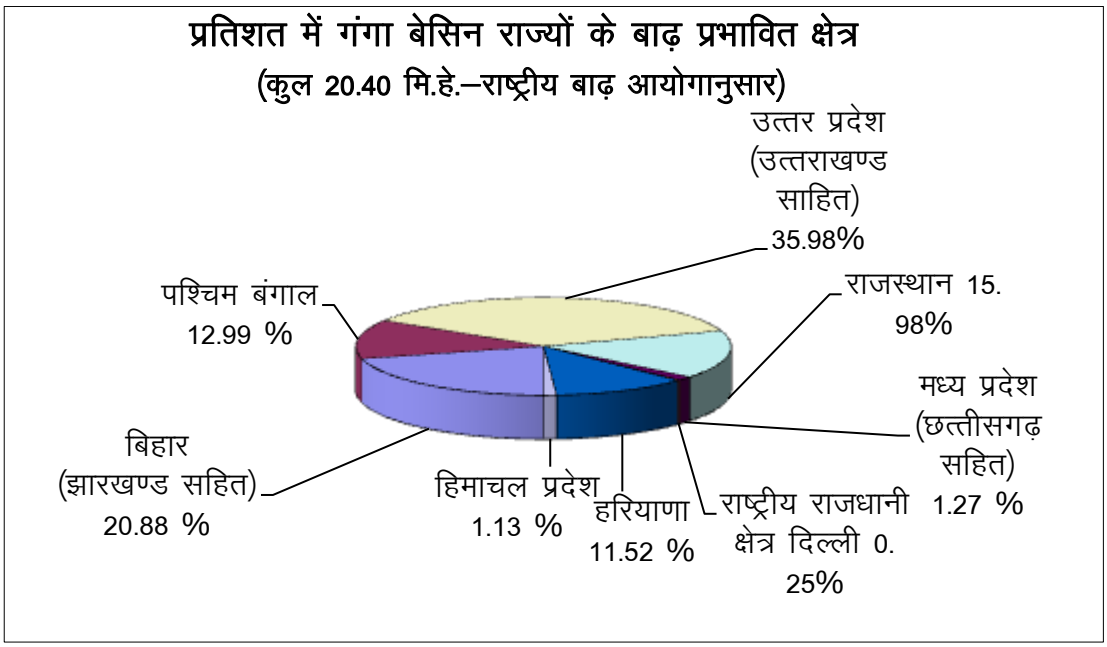

1.2 गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद्

गंगा बेसिन की गंभीर एवं चिरकालिक बाढ़ समस्याओं का प्रभावी ढंग से सामना करने तथा उससे होने वाली क्षति को बहुत हद तक कम करने के उद्धेश्य से बाढ़–प्रबंधन, कटाव नियंत्रण इत्यादि कार्य करने के लिए एक समेकित योजना बनाने तथा त्वरित जल निकास मार्ग की सुविधा प्रदान करने तथा इसका एक बृहत् एवं समन्वित रूप में कार्यान्वयन की आवश्यकता महसूस की गई। इन उद्धेश्यों की प्राप्ति के लिए भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय के संकल्प सं. एफ.सी.–47 (2)/72 दिनांक 18.4.1972 द्वारा गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद् (जी.एफ.सी.बी.) का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष माननीय केन्द्रीय मंत्री, जल संसाधन हैं।

कार्य :

- विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत नीतियां तैयार करना एवं उसके कार्यान्वयन की प्राथमिकता निर्धारित करना।
- गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण की बृहत् योजना तैयार करने के संबंध में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करना तथा तद्नुसार बनाई गई योजनाओं का अनुमोदन करना।

1.3 गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद् का गठन

जल संसाधन मंत्रालय के संकल्प संख्या–22/3/99–पू.न./2586 दिनांक 28.6.2001 द्वारा अधिसूचित गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद् का गठन नीचे दिया गया है:–

1.	केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री	–	अध्यक्ष
2.	केन्द्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री	–	सदस्य +
3.	केन्द्रीय वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि	–	सदस्य
4.	केन्द्रीय रेल मंत्री या उनके प्रतिनिधि	–	सदस्य
5.	केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री या उनके प्रतिनिधि	–	सदस्य
6.	केन्द्रीय कृषि मंत्री या उनके प्रतिनिधि	–	सदस्य
7.	मुख्य मंत्री, बिहार या उनके प्रतिनिधि	–	सदस्य
8.	मुख्य मंत्री, प0 बंगाल या उनके प्रतिनिधि	–	सदस्य
9.	मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश या उनके प्रतिनिधि	–	सदस्य
10.	मुख्य मंत्री, हरियाणा या उनके प्रतिनिधि	–	सदस्य
11.	मुख्य मंत्री, राजस्थान या उनके प्रतिनिधि	–	सदस्य
12.	मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश या उनके प्रतिनिधि	–	सदस्य
13.	मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश या उनके प्रतिनिधि	–	सदस्य
14.	मुख्य मंत्री, झारखण्ड या उनके प्रतिनिधि	–	सदस्य

15.	मुख्य मंत्री, उत्तराखंड या उनके प्रतिनिधि	–	सदस्य
16.	मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ या उनके प्रतिनिधि	–	सदस्य
17.	सदस्य, योजना आयोग	–	सदस्य
18.	मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली या उनके प्रतिनिधि	–	सदस्य
19.	अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग	–	सदस्य–सचिव

+ केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अनुपस्थिति में अध्यक्ष

मार्च, 2012 तक गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद् की अबतक 15 बैठकें आयोजित हुई हैं। परिषद् की 15वीं बैठक 25 मई, 2011 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस बैठक में गंगा बेसिन राज्यों के बाढ़ और प्रबंधन संबंधी विषयों पर विचार–विमर्श किए गए और अनुवर्ती कारवाई की रूप–रेखा तैयार की गई।

1.4 गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग

गंगा बेसिन राज्यों में बाढ़ की समस्याओं के निदान एवं उसके प्रबंधन हेतु भारत सरकार ने अपने संकल्प सं. एफ.सी.–47(2)/72 दिनांक 18.4.1972 के द्वारा वर्ष 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना की गई। यह जल संसाधन मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है और यह गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद् के सचिवालय एवं कार्यपालक स्कंध के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय पटना में है।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का गठन निम्नवत् है :–

1.	अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग	–	अध्यक्ष

पूर्ण कालिक सदस्य

2.	सदस्य(योजना), गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग	–	सदस्य
3.	सदस्य(समन्वय), गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग	–	सदस्य

आयोग के अंशकालिक सदस्य

4.	मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रभारी जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार	–	सदस्य
5.	मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रभारी जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार	–	सदस्य
6.	मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रभारी सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	–	सदस्य
7.	मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रभारी सिंचाई विभाग, उत्तराखंड सरकार	–	सदस्य
8.	मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रभारी सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग, प0 बंगाल सरकार	–	सदस्य

9.	अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश सरकार	–	सदस्य
10.	अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ सरकार	–	सदस्य
11.	सदस्य(नदी प्रबंधन), केन्द्रीय जल आयोग भारत सरकार, नई दिल्ली	–	सदस्य
12.	निदेशक, केन्द्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केन्द्र, भारत सरकार, पूणे	–	सदस्य
13.	मुख्य अभियंता(लोअर गंगा बेसिन), केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार, पटना	–	सदस्य
14.	मुख्य अभियंता(योजना) सड़क स्कंध, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार	–	सदस्य
15.	निदेशक(सिविल अभियंत्रण स्कंध), रेलवे बोर्ड, भारत सरकार	–	सदस्य

आयोग के स्थायी आमंत्रित सदस्य

1. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रभारी, हरियाणा सरकार
2. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रभारी, हिमाचल प्रदेश सरकार
3. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रभारी, राजस्थान सरकार
4. मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रभारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
5. निदेशक(बी.एण्ड.एस.), आर.डी.एस.ओ., रेल मंत्रालय, लखनऊ

1.5 गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के कार्य

आयोग को मूल रूप से सौंपे गए कार्य निम्नवत हैं :–

(क) गंगा बेसिन में बाढ़–नियंत्रण की बृहत् योजना तैयार करना।

(ख) संबंधित राज्यों द्वारा बेसिनवार योजनाओं में शामिल कार्यों के कार्यान्वयन का चरणबद्ध एवं समन्वित रूपरेखा प्रस्तुत करना।

(ग) कार्यों एवं उनके नियमित अनुरक्षण का उचित मानक सुनिश्चित करना।

वर्त्तमान में जी.एफ.सी.सी. का विस्तृत कार्य इस प्रकार हैं :–

- गंगा बेसिन में बाढ़–प्रबंधन की बृहत् योजना तैयार करना। गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद् द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार राज्य सरकारों के द्वारा इस काम के लिए क्षेत्र अन्वेषण एवं आंकड़ा संकलन का कार्य करना।
- बेसिनवार योजनाओं में सम्मिलित कार्यों के कार्यान्वयन का चरणबद्ध एवं समन्वित कार्यक्रम तैयार करना।

- संबंधित राज्यों को उचित मानकों के अनुसार कार्यों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, सामग्री विनिर्देश एवं उनके अनुरक्षण के संबंध में दिशा–निर्देश पालन हेतु सलाह देना।

- परिषद् के विचारार्थ, जब कभी आवश्यकता हो, तो कार्यों से संबंधित वार्षिक कार्यक्रम तैयार करना एवं निधि आवंटन की अनुशंसा करना।

- सड़क एवं रेल पुलों के नीचे मौजूदा जल निकास मार्गों का आंकलन एवं जल निस्सरण के अवरोध को यथोचित सीमा तक कम करने के लिए अतिरिक्त जल मार्गों का निर्धारण करना।

- महत्वपूर्ण बाढ़ नियंत्रण योजनाएं विशषकर वह जो केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर रही हैं या केन्द्रीय सेक्टर में कियान्वित हो रही हैं, उनकी मॉनिटरिंग करना।

- ताजेवाला से ओखला बराज तक के क्षेत्र में यमुना नदी पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली राज्यों की योजनाओं को छोड़कर गंगा सब–बेसिन की सभी बड़ी एवं मध्यम बाढ़–नियंत्रण, जल निकास, जल जमाव रोधी और कटावरोधी योजनाओं की जांच।

- बेसिन राज्यों द्वारा समुचित उपयोग के लिए वैज्ञानिक संगठनों के साथ मिलकर किए गए विशेष अध्ययनों या अन्वेषणों से प्राप्त निष्कर्षों का प्रलेख एवं प्रसार करना।

- सभी अन्तर्राज्जीय बाढ़ नियंत्रण योजनाओं सहित राज्यों द्वारा निष्पादित किए गए प्रमुख बाढ़ नियंत्रण उपायों की कार्यकारिता का मूंल्याकन करना।

- बाढ़ प्रबंधन विषय से संबंधित भारत सरकार एवं गंगा बेसिन राज्यों द्वारा गठित विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समितियों में भाग लेना।

गंगा बेसिन में बाढ़–प्रबंधन की बृहत् मास्टर योजनाएं तैयार करने तथा उनका समय–समय पर अद्यतन करने के काम के साथ गंगा बेसिन में बाढ़–प्रबंधन योजनाओं का तकनीकी एवं आर्थिक मूल्यांकन का कार्य भी जी.एफ.सी.सी. करता है । नेपाल के साथ बाढ़–प्रबंधन से संबंधित अनेक क्रिया–कलापों में समन्वय का काम भी दिया गया है।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की अबतक कुल 43 बैठकें अयोजित हो चुकी हैं। जी.एफ. सी.सी. की 43वीं बैठक लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में मार्च, 2012 में आयोजित हुई थी। इन बैठकों में गंगा बेसिन से संबंधित विभिन्न विषयों जैसे– राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति, फ्लड प्लेन जोनिंग/फ्ल्ड रिस्क मैपों को तैयार करना, सब बेसिनवार बृहत योजनाओं का कार्यान्वयन, बाढ़–प्रबंधन योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन, फ्ल्ड प्लेन क्षेत्र के चित्र के लिए रिमोट सेन्सिंग तकनीक/उपग्रह चित्रण का उपयोग, बाढ़ प्रबंधन योजनाओं के निर्माण एवं निष्पादन से पहले मॉडल अध्ययन की आवश्यकता के आंकलन का काम किया जाना, बाढ़ प्रबंधन योजनाओं का वार्षिक सूची पत्र तैयार करना आदि पर विचार–विमर्श किया गया तथा विभिन्न गंगा बेसिन राज्यों/संबंधित केन्द्रीय संगठनों द्वारा इस पर अनुगामी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग
संगठन चार्ट

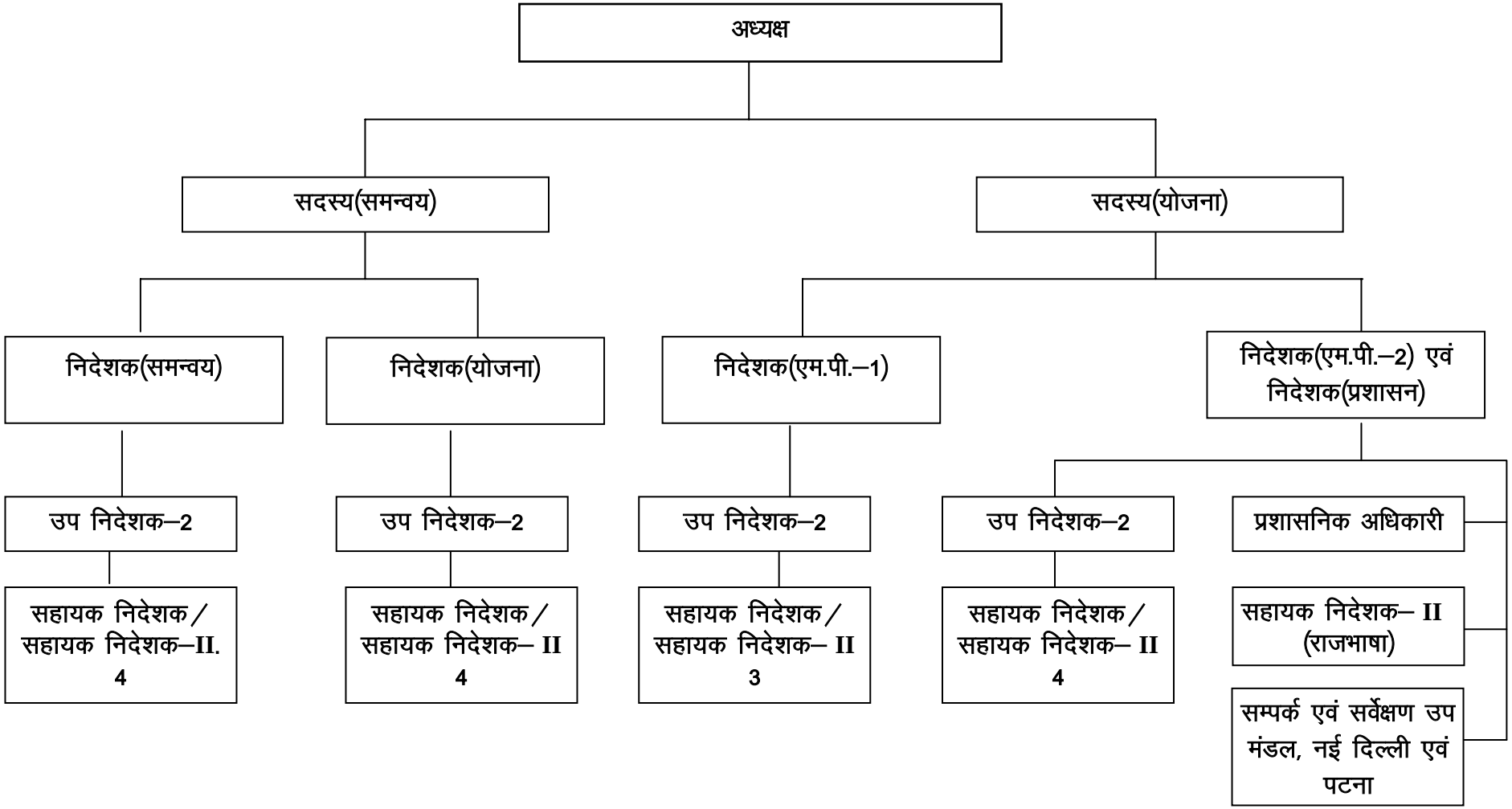

1.7 गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में 31.3.2012 को कुल 101 स्वीकृत पदों के स्थान पर 69 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। स्वीकृत एवं भरे गए पदों का ब्योरा नीचे दिए गए हैं :–

क.सं.	समूह	स्वीकृत	रिक्त	कुल भरे गए पद
1.	क (राजपत्रित)	23	5	18
2.	ख (राजपत्रित)	13	4	9
3.	ख (अराजपत्रित)	7	–	7
4.	ग	42	19	23
5.	घ	16	5	11
कुल		**101**	**33**	**68**

इसके अतिरिक्त 19 कार्यभारित कर्मचारीगण जिनमें 03 चालक, 04 कार्य सहायक एवं 12 खलासी भी गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के विभिन्न क्रिया–कलापों के सम्पादन हेतु कार्यरत हैं ।

'क' समूह के सभी पद एवं 'ख' समूह के सहायक निदेशक ग्रेड–2 पद केन्द्रीय जल अभियंत्रण सेवा के क्रमशः 'क' एवं 'ख' में सम्मिलित हैं ।

1.8 सतर्कता एवं अनुशासनिक मामले

वर्ष 2011–12 के दौरान किसी अधिकारी और अन्य किसी कर्मचारी से संबंधित कोई सतर्कता या अनुशासनिक मामला इस आयोग में लंबित नहीं था ।

1.9 संसद प्रश्नों एवं अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर

1.9.1 वर्ष के दौरान 53 संसद प्रश्नों का उत्तर हेतु सामग्री तैयार की गई तथा मंत्रालय को भेजा गया।

1.9.2 वर्ष के दौरान 11 अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रश्नों से संबंधित उत्तर हेतु सामग्री तैयार किया गया तथा जल संसाधन मंत्रालय को भेजा गया ।

1.10 सूचना के अधिकार नियम–2005 का कार्यान्वयन

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में प्रार्थीयों द्वारा किए गए अनुरोध एवं अधिनियम में दिए गए निर्धारित समय–सीमा के अन्दर प्रार्थी को सूचना प्रेषित करने के काम को देखने के लिए एक अपीली प्राधिकारी, एक लोक सूचना अधिकारी एवं पांच सहायक लोक सूचना

अधिकारी को भी पदनामित किया गया है। 31.3.2012 तक के अधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं :–

1.	श्री एस.मसूद हुसैन, सदस्य(समन्वय)	अपीलीय प्राधिकारी
2.	श्री रवि भूषण कुमार, निदेशक(एम.पी.–II)	केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
3.	श्री ए.के.सिन्हा, सहायक निदेशक–II(समन्वय)	सहायक लोक सूचना अधिकारी
4.	श्री हर्षवर्द्धन, सहायक निदेशक–II (एम.पी.–I)	सहायक लोक सूचना अधिकारी
5.	श्री एम.क्यू.जमाल, सहायक निदेशक–II (एम.पी.–II)	सहायक लोक सूचना अधिकारी
6.	श्री एस.के.चौरसिया, सहायक निदेशक–II(योजना)	सहायक लोक सूचना अधिकारी

वर्ष 2011–12 के दौरान जल संसाधन मंत्रालय के माध्यम से इस कार्यालय को 06 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे, जिनका उत्तर तत्परता से सीधे प्रार्थी को दिया गया।

1.11 वित्तीय पहलू

वर्ष 2011–12 के दौरान गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा 478.03 लाख रूपये की राशि व्यय की गई। वर्ष 2011–12 के दौरान उप शीर्षवार अंतिम प्राक्कलन एवं वास्तविक व्यय को दर्शाता विवरण नीचे दिया गया है :–

(राशि रू. में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	अंतिम प्राक्कलन 2011–12	वास्तविक व्यय 2011–12
1.	वेतन	39284000	38941900
2.	चिकित्सा	150000	124886
3.	यात्रा व्यय (घरेलु)	23002000	2219854
4.	यात्रा व्यय (विदेश)	150000	118959
5.	कार्यालय व्यय	600000	541714
6.	लघु कार्य	4400000	4418988
7.	मशीनरी एवं उपस्कर	1450000	1436446
8.	समयोपरि भत्ता	10000	0
कुल		**48344000**	**47802747**

———————

2 बाढ़ प्रबंधन की बृहत् योजनाए

2.1 बाढ़–प्रबंधन की बृहत् योजना तैयार करना

गंगा बेसिन क्षेत्र में ग्यारह राज्य शामिल हैं, इन राज्यों के कुछ या अन्य भागों में हर वर्ष बाढ़ का आना एक सामान्य घटना है। अबतक किए गए अपर्याप्त सुरक्षा कार्यो के कारण बाढ़ से व्यापक क्षति होती है। अतः इस बेसिन में बाढ़, कटाव एवं जल निकास समस्याओं का सामना करने के लिए एक समेकित योजना तैयार करना तथा इसके समन्वित रूप से क्रियान्वित करने की आवश्यकता महसूस की गई। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए गंगा बेसिन के लिए बाढ़–प्रबंधन की बृहत् योजनाएं तैयार करने के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का गठन किया गया। समस्त गंगा बेसिन को 23 नदी पद्धतियों में विभाजित किया गया है तथा वर्ष 1975 से 1990 के बीच इन सभी नदी पद्धतियों की बाढ़–प्रबंधन की बृहत् योजनाएं तैयार कर ली गयी हैं। ये बृहत् योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों को भेजी गई जिससे कि वे प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन हेतु आवश्यक योजनाएं तैयार कर सकें।

2.2 बाढ़–प्रबंधन की बृहत् योजनाओं को अद्यतन करना

गंगा बेसिन में नदियों की गतिविधियों में हो रहे लगातार परिवर्तनों एवं अन्य कारणों के मद्देनजर सभी नदी पद्धतियों की बाढ़–प्रबंधन की बृहत् योजनाओं को अद्यतन करने की आवश्यकता महसूस की गई । यह कार्य वर्ष 1986 में आरंभ किया गया तथा मार्च, 2010 तक गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने 22 नदी पद्धतियों की बृहत् योजनाओं को अद्यतन किया है।

अद्यतन की गई बृहत् योजनाओं को भी संबंधित राज्य सरकारों को आगे की अनुवर्ती कार्रवाई हेतु परिचालित किया गया।

वर्ष 2011–12 के दौरान कोसी और रूपनारायण–हल्दी–रसूलपुर की बृहत् योजना को अद्यतन करने का काम प्रगति पर है।

2.3 बाढ़ का मॉनिटरिंग और बाढ़ रिपोर्ट तैयार करना :

वर्ष 2011 में गंगा बेसिन राज्यों में बाढ़ की स्थिति का मॉनिटरिंग किया गया तथा 18 साप्ताहिक रिपोर्ट जल संसाधन मंत्रालय को भेजे गए।

गंगा बेसिन राज्यों में वर्ष 2011 में बाढ़ की स्थिति का राज्यवार संक्षिप्त विवरण नीचे इस प्रकार हैं:–

वर्षा

सम्पूर्ण गंगा बेसिन में वर्ष के दौरान वर्षा सामान्य रही। मानसून के दौरान पश्चिम तथा पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के मौसम विज्ञान उप–मंडल में वर्षा अत्यधिक हुई।

गंगा बेसिन के नदियों में बाढ़ की स्थिति

केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त आंकड़ा के अनुसार राज्यवार नदियों में बाढ़ की स्थिति निम्नवत् रही :–

उत्तर प्रदेश

गंगा नदी बलिया, गाजीपुर, हरिद्वार और फतेहगढ़, घाघरा नदी एलिग्न ब्रिज, अयोध्या और कुर्तीपर, शारदा नदी पालियाकलाम और यमुना नदी, माबी और मथुरा में मानसून अवधि में खतरे के निशान से ऊपर रही।

बिहार

गंगा नदी बक्सर, गांधीघाट, हाथीदह और भागलपुर में, कोसी नदी बसुआ और बालतारा में, सोन नदी मनेर, पुनपुन नदी, श्रीपालपुर, बागलमती, बेनीबाग, महानन्दा ढिंढराघाट, कमला बलान, झंझारपुर और अधवारा नदी समूह कमतौल में मानसून अवधि के दौरान खतरे के निशान से ऊपर रही। सोन नदी में अप्रत्याशित बाढ़ आयी जिसमें इन्द्रपुरी बराज पर अधिकतम जलनिस्सरण 9.58 लाख क्यूसेक था।

पश्चिम बंगाल

गंगा नदी फरक्का, म्यूराक्षी, महरो और कंशवती फुलवरिया में मानसून अवधि के दौरान खतरे से ऊपर रही।

झारखण्ड

गंगा नदी साहिबगंज और दामोदर रामगढ़ में मानसून अवधि में खतरे के निशान से ऊपर रही।

अन्य गंगा बेसिन राज्यों से गंगा को छोड़कर सभी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे रहा।

बाढ़ से क्षति

गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन संभाग के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 के दौरान गंगा बेसिन राज्यों ने बाढ़ से 82.74 लाख आबादी प्रभावित हुए थे। बेसिन राज्यों में 3090 व्यक्तियों और 1783 मवेशियों की जाने गईं। बाढ़ से कुल 547209 मकानों को आंशिक/पूर्णतः नुकसान हुआ। 12.31 लाख हे0 क्षेत्र में फसलों को क्षति पहुंची। बाढ़ से 96220 लाख रूपये का नुकसान हुआ। यह उल्लेखनीय होगा कि उपरोक्त नुकसान संबंधी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश से संबंधित क्षति सम्मिलित नहीं है।

———————

3 सड़क एवं रेल पुलों के नीचे जलमार्गों की पर्याप्तता का आंकलन

3.1 गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का एक और महत्वपूर्ण कार्य सड़क एवं रेल पुलों के नीचे जलमार्गो की पर्याप्तता पर रिपोर्ट तैयार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मौजूदा रेल एवं सड़क पुलों के नीचे जलमार्गों की पर्याप्तता या अन्य कारणों की जांच के लिए अक्सर गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग को आमंत्रित किया जाता है। इसका उद्धेश्य जल निकास मार्गों में जल जमाव को एक सीमा तक कम करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त जल मार्गों का निर्धारण करना है। यह क्रिया–कलाप, जोकि अस्सी के दशक के आखरी में शुरू की गई थी, को गंगा की मुख्य प्रवाह के कुछ स्ट्रेचेज को छोड़कर बाकी सभी नदियों के लिए पूरा किया जा चुका है।

इन रिपोर्टों को भी गंगा बेसिन राज्यों तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों से संबंधित विभागों को अनुगामी कार्रवाई हेतु परिचालित किया गया है।

———————————

4 बाढ़–प्रबंधन कार्यक्रम

वर्ष 2004 में बिहार, असम एवं पश्चिम बंगाल में आयी अप्रत्याशित बाढ़ के कारण और इन राज्यों में बृहत् पैमाने पर हुई क्षति के परिणामरूवरूप माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश पर भारत सरकार ने बाढ़ समस्या की गंभीरता एवं उससे उत्पन्न गंभीर संकट को ध्यान में रखते हुए अगस्त, 2004 में अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में बाढ़ प्रबंधन/कटाव नियंत्रण के लिए एक टॉस्क फोर्स का गठन किया गया तथा इस टॉस्क फोर्स को असम एवं पड़ोसी राज्यों यथा– बिहार, पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आने वाली चिरकालिक बाढ़ की समस्या की जांच–पड़ताल करना था। इस टॉस्क फोर्स ने इन राज्यों में बाढ़ से संबंधित बहुत सारे विषयों पर विचार–विमर्श किया और स्थल पर स्थिति से निपटने हेतु अनेक सुझाव दिए। समिति ने अपनी रिपोर्ट में इन राज्यों में बाढ़ और कटाव नियंत्रण के लिए अनेक उपाय सुझाए। जल संसाधन मंत्रालय को टॉस्क फोर्स की रिपोर्ट दिसम्बर, 2004 में दिया गया।

टॉस्क फोर्स एवं ऐसी ही अन्य समितियों की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए, 11वीं योजना अवधि के दौरान योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सेक्टर के अधीन 8000 करोड़ रू. की योजना की एक रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसका शीर्षक ''फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम'' है। इस योजना में बाढ़–प्रबंधन, तट कटावरोधी, समुद्र तट कटावरोधी, जल निकास विकास एवं फ्लड प्रूफिंग शामिल हैं। इन प्रत्येक योजनाओं की वित्तीय अनुमोदन सचिव(व्यय), वित मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किया जाता है और यह अनुमोदन संकटपूर्ण एवं आपात स्थिति एवं वार्षिक बजट में उपलब्ध धन/योजना लागत तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा राज्यांश एवं केन्द्रीय अंश/हिस्सा पर विचार के बाद उपलब्ध कराया जाता है। इस समिति में वित मंत्रालय के अतिरिक्त जल संसाधन मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय योजना आयोग के प्रतिनिधिगण शामिल हैं।

योजना आयोग द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार बाढ़–प्रबंधन के लिए विस्तृत योजनाएं कार्यान्वयन करने वाले राज्यों द्वारा तैयार की जाती है तथा तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन हेतु संबंधित मूल्यांकन एजेन्सी को दी जाती है।

राज्य सरकारों को निधि नीचे दिए गए पद्धति के आधार पर केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान किए जाते हैं :–

1. विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के लिए 90 प्रतिशत (विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर एवं उत्तराखण्ड राज्य शामिल हैं)
2. गैर विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के लिए–75 प्रतिशत
3. क्षतिग्रस्त कार्यों के जीर्णोद्धार के लिए 90 प्रतिशत तक केन्द्रीय सहायता के रूप में दिए जा सकते हैं।

वित्तीय एवं भौतिक प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण, कार्यों का समय पर पूर्ण होने आदि की जिम्मेवादी राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेन्सी की है।

''फलड् मैनेजमेंट कार्यक्रम'' योजना की मॉनिटरिंग अपने–अपने क्षेत्राधिकार क्षेत्र में केन्द्रीय जल आयोग, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग एवं ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा किया जाना है। अंतरिक्ष विभाग/एन.आर.एस.सी. रिमोट सेन्सिंग तकनीक के माध्यम से कार्यों की भौतिक प्रगति की मॉनिटरिंग में भी सहयोगी है।

कार्य पूर्ण होने के बाद उसकी कार्यकारिता मूल्यांकन अध्ययन का काम जैसा विषय हो उस अनुसार केन्द्रीय जल आयोग, जी.एफ.सी.सी., ब्रह्मपुत्र बोर्ड के परामर्श से किसी स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा कराया जाता है।

निष्पादन हेतु ली गई राज्यवार योजनाएं एवं उनकी स्थिति

11वीं योजना के दौरान (राज्यवार) शुरू की गई बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम की योजना एवं उनकी प्रगति का ब्योरा नीचे दी गई है:–

क्र. सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	2012–13 के दौरान प्रगति पर रही योजना (अग्रनीत योजनाएं)
1.	बिहार	46	33	10#
2.	झारखण्ड	3	1	2
3.	पश्चिम बंगाल	11	6	4*
4.	उत्तर प्रदेश	24	6	18
5.	उत्तराखण्ड	12	4	8
6.	हिमाचल प्रदेश	1	–	1
कुल		**97**	**50**	**43**

बिहार की दो योजनाएं ई.सी.–एफ.एम.पी. द्वारा बंद की गई और 01 योजना पर पहले से ही बंद है।

* पश्चिम बंगाल की 01योजना राज्य सरकार द्वारा वापस ले ली गई।

———————————

5 बाढ़–प्रबंधन योजनाओं का मूल्यांकन

5.1 गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में गंगा बेसिन राज्यों से प्राप्त बाढ़–प्रबंधन योजनाओं का तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन का काम एक अनवरत क्रिया–कलाप है। 7.5 करोड़ रू. और 15 करोड़ रू. के बीच की अनुमानित लागत की योजनाओं का तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता की जांच गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा किया जाता है और अगर यह स्वीकार्य योग्य होती है तो इसे जी.एफ.सी.सी. द्वारा स्वीकृत किया जाता है तथा इसे निवेश स्वीकृति हेतु योजना आयोग को अनुशंसित किया जाता है। 7.5 करोड़ रू. से कम लागत की योजनाएं राज्य स्तर पर ही राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् द्वारा स्वीकृति की जाती है। 15 करोड़ रू. से ऊपर की लागत की योजनाएं अगर स्वीकार्य योग्य पाया जाता है तो इसे जी.एफ.सी.सी. द्वारा उसके तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन करने के बाद स्वीकृति हेतु जल संसाधन मंत्रालय की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं बहुद्धेश्शीय प्रोजेक्ट की सलाहकार समिति को भेजा जाता है।

सामान्यतः 7.5 करोड़ रू. से कम लागत की योजनाओं की जांच गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग नहीं करता है फिर भी विशेष मामले में जैसे– बंगलादेश की सीमा से लगे साझा/सीमा नदियों पर पूर्वी सेक्टर में तत्कालिक बाढ़ सुरक्षा कार्य की योजनाएं जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के अनुदेशानुसार जी.एफ.सी.सी. बंगलादेश के साथ की साझा सीमा की नदियों पर की योजनाओं की संवीक्षा करती है तथा निधि जारी करने हेतु जल संसाधन मंत्रालय को अनुशंसा करती है। इसके अतिरिक्त गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की तकनीकी–आर्थिक पहलू का परीक्षण किया जाता है। चाहे परियोजना लागत कितना ही क्यों न हो।

5.2 2011–12 के दौरान जांच की गई योजनाओं का ब्योरा तथा उनकी स्थिति नीचे दी गई है :–

क्र. सं.	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रू. में)	स्थिति
	बिहार		
1.	भागलपुर जिला में गंगा नदी के वाएं किनारे पर विक्रमशीला ब्रिज के अनुप्रवाह में इस्माइलपुर से बिन्द टोली तक तट सुरक्षा कार्य	2339.00	तकनीकी–आर्थिक रूप में योजना स्वीकृति
2.	बिहार के पश्चिम चम्पारण में गंडक नदी के वाएं किनारे पर बाघा शहर सुरक्षा कार्य (फेज–1)	4891.00	तथैव

क्र. सं.	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रू. में)	स्थिति
3.	बिहार के सीतमामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिलों में आर.डी. 0.0 कि.मी. से आर.डी. 43.60 कि.मी. एवं आर.डी. 44.00 कि.मी. से आर.डी. 90.50 कि. मी. तक अधवारा एवं खिरोई के वाएं तटबंध और आर.डी. 0.0 कि.मी. से आर.डी. 81.50 कि. मी. तक का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	16703.00	तथैव
4.	पिपरा–पिपरासी तटबंध के 0.00 कि.मी. से 35. 00 कि.मी. एवं पी.पी.ई. के जी.एच. भाग के 0.00 कि.मी. से 6.68 कि.मी. के बीच कटावरोधी कार्य	1460.655	तथैव
5.	सनहा–गोरगामा तटबंध के 0.00 कि.मी. से 21. 30 कि.मी. तक का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य	347.57	तथैव
6.	कटिहार जिला में छारामारी से झाबु टोला तक गंगा नदी के वाएं किनारे के एक एन्टी फ्लड स्लूइस एवं 10 सब–मर्जड बेडवार (21 मी. X 9 मी.) से रिटायड तटबंध (3.50 कि.मी.) के निर्माण हेतु एन्टी इरोजन कार्य	998.34	तथैव
7.	बी.के.जी. तटबंध के 64.37 कि.मी. एवं 90.52 कि.मी. में 03 प्रमुख एफ.एफ.एस. (53.90 से 54. 18 के बीच) सहित तटबंध का जीर्णोधार एवं गैप को बंद करना	3704.40	योजना का मूल्यांकन किया गया एवं प्रेक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी गई।
8.	महानन्दा बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–2	41584.00	तथैव
9.	बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–3	49714.00	मूल्यांकनाधीन
	पश्चिम बंगाल		
1.	मुर्शिदाबाद जिला के कांदी एवं अन्य समीपवर्ती क्षेत्र में तटबंधों को विकसित करने एवं उससे संबंधित कार्य	43894.00	तकनीकी–आर्थिक रूप में योजना स्वीकृत
2.	घाटल एवं समीपवर्ती क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान एवं डी.पी.आर.	174000.00	योजना की जांच की गई एवं टिप्पणी राज्य सरकार को भेजी गई
	उत्तर प्रदेश		
1.	उत्तर प्रदेश के कांशीराम नगर जिला में नागला डल के निकट गंगा नदी के बुढ़ी गंगा में प्रवाह/कटाव को जांच हेतु प्रोजेक्ट प्राक्कलन	877.79	योजना तकनीकी–आर्थिक रूप में स्वीकृति
2.	बलरामपुर जिला में राप्ती नदी के वाएं किनारे पर कर्माहा–भोजपुर के निर्माण हेतु संशोधित प्राक्कलन	1179.09	तथैव

क्र. सं.	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रू. में)	स्थिति
3.	बलिया जिला में 24.650 कि.मी. से 25.900 कि. मी. के बीच बलिया बैरिया बांध की सुरक्षा हेतु योजना	775.83	तथैव
4.	लखीमपुर–खेरी जिला में शारदा नदी के वाएं किनारे पर ऐरा ब्रिज से अम्बरपुर तक तटबंध के शेष कार्यों के निर्माण की योजना	2374.00	तथैव
5.	बरेली जिला में रामगंगा नदी के वाएं किनारे पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए योजना	1441.27	योजना की जांच की गई तथा टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजी गई।
6.	बिजनौर जिला में खो नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए योजना	1450.00	तथैव
7.	क्नपुर जिला में दाएं गाईड बांध के अनुप्रवाह से रानीघाट तक गंगा नदी के दाहिने किनारे पर की आबादी एवं आवासीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए योजना	1525.70	तथैव
8.	लखीमपुर खेरी जिला में शारदा नदी के वाएं किनारे पर ब्रिज सं. 97 एवं भीरा के स्पर सं. 0 पालिया रेलवे लाईन के बीच कटावरोधी कार्यों के निर्माण हेतु योजना	1883.11	तथैव
9.	लखीमपुर खेरी जिला में शारदा नदी के वाएं किनारे पर शारदा नगर से ऐरा ब्रिज तक तटबंध के शेष कार्य (निर्माणाधीन) के निर्माण की योजना	2650.42	तथैव
10.	बहराईच, गोंडा एवं बाराबंकी जिले में घाघरा नदी पर एल्जिन ब्रिज चारसारी बांध के निर्माण हेतु संशोधित प्रोजक्ट	2026.00	तथैव
11.	राप्ती नदी के दाहिने किनारे पर गारेखपुर जिला में बोक्टा बाखर बांध के 0.500 से 0.900 कि. मी., 1.600 कि.मी. से 1.97 कि.मी. एवं 7.50 कि. मी. से 7.800 कि.मी. के बीच बाढ़ सुरक्षा कार्यों की योजना सहित 0.000 कि.मी. से 11.250 कि. मी. के बीच ईंट का ऊपरी सोलिंग कार्य	1343.58	तथैव
12.	बहराईच जिला में गोरूआ नदी के वाएं किनारे पर अवस्थित गांवों की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्यों की योजना	5385.62	तथैव
13.	लखीमपुर खेरी जिला में घाघरा नदी के दाहिने किनारे पर जालीमनगर अम्बारपुर बांध की शेष कार्यों के लिए योजना	5373.00	तथैव
14.	शाहजहांपुर जिला में डबरूनागला ग्राम के निकट गंगा नदी के वाएं किनारे पर भनसारधाईघाट अतिरिक्त बांध पर कटावरोधी कार्यों के लिए परियोजना	1140.00	तथैव

क्र. सं.	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रू. में)	स्थिति
15.	लखनऊ जिला में किला मोहम्मदी नगर ड्रेन के पुनर्निमाण हेतु संशोधित प्रोजेक्ट	14275.93	तथैव
16.	बलिया जिला में घाघरा नदी के वाएं किनारे पर दूहा–कठौदा रिंग बांध के 2.00 कि.मी. से 2.40 कि.मी. के बीच बाढ़ सुरक्षा कार्यों का प्रोजक्ट	844.37	तथैव
17.	बलरामपुर जिला में राप्ती नदी के दाहिने किनारे पर मेवालाल तालाब दिपवा (एम.एल.टी.डी.) के निर्माण हेतु संशोधित परियोजना प्राक्कलन	1007.03	तथैव
18.	गोंडा जिला में सरयू/घाघरा नदी के वाएं किनारे सहित सकरौर–भिखारीपुर रिंग बांध के 13.600 कि.मी. से 15.00 कि.मी. के बीच रिटायड बांध के निर्माण हेतु संशोधित प्रोजक्ट प्राक्कलन	1703.74	गं.बा.नि.आ. में परीक्षणाधीन
19.	बलरामपुर जिला में राप्ती नदी के वाएं किनारे पर रजवारपुर को कर्माहना–भोजपुर बांध से सुरक्षा हेतु 10.500 से 11.700 कि.मी. के बीच कटावरोधी कार्यों की परियोजना	836.64	तथैव
20.	बलिया जिला में गंगा नदी के वाएं किनारे पर बलिया–बैरिया बांध के 26.700 कि.मी. से 27. 100 कि.मी. के बीच एवं 26.700 कि.मी. के बीच स्पर के निर्माण हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य	878.58	तथैव
21.	बदांयू एवं जे.पी. नगर जिलों में गंगा नदी के वाएं किनारे पर 0.000 कि.मी. से 34.000 कि.मी. के बीच कलक्टर साधु जिवपुर बांध के जीर्णोद्धार हेतु प्रोजक्ट	2930.51	तथैव
22.	लखनऊ जिला में 0.000 कि.मी. से 12.600 कि. मी. तक अटरिया खानीपुर रोड से चंद्रिका देवी माल रोड तक गोमती के वाएं किनारे पर मार्जिनल तटबंध के निर्माण हेतु योजना	1470.35	तथैव
23.	बरेली जिला में रामगंगा नदी के वाएं किनारे पर खलीनाबादा, शिवपुरी एवं नागरिया गांवों के निकट बाढ़ सुरक्षा कार्यों की योजना	757.64	तथैव
24.	बदांयू जिला में गंगा नदी के वाएं किनारे पर 12.700 से 14.00 कि.मी. तक उसेट टाट बांध के बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए प्रोजक्ट प्राक्कलन योजना	931.49	तथैव
25.	बुलंदशहर जिला में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर अवस्थित ऐतिहासिक कर्णवास ग्राम की बाढ़ सुरक्षा कार्य	1374.00	तथैव
26.	बुलंदशहर जिला में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर अनुपशहर टाऊन के अनुप्रवाह में अवस्थित डैम पेनर डी.एस.–2 से सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट के बीच बाढ़ सुरक्षा कार्य	1214.00	तथैव

क्र. सं.	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रू. में)	स्थिति
27.	सिद्धार्थनगर जिला में पुनरा नदी के दाहिने तट पर महादेवा उस्का के निर्माण के लिए संशोधित प्रोजक्ट प्राक्कलन	2776.00	तथैव
28.	गोंडा जिला में सरयू/घाघरा नदी के वाएं किनारे पर मुख्य बांध के 0.650 कि.मी. से सकरौर–भिखारीपुर रिंग बांध के बीच कटावरोधी कार्यों के लिए प्रोजक्ट प्राक्कलन	4151.00	तथैव
29.	बाराबंकी जिला में घाघरा नदी के दाहिने किनारे पर एल्गिन ब्रिज के प्रतिप्रवाह में मार्जिनल बांध के निर्माण की योजना	17008.00	तथैव
30.	बाराबंकी जिला में दाहिने किनारे पर घाघरा नदी के 19.50 कि.मी. से 21.00 कि.मी. के बीच/ अलीनगर–रानीमऊ बांध के/बाढ़ सुरक्षा कार्य	1467.00	तथैव
31.	बस्ती जिला में घाघरा नदी बेसिन के 09 बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के लिए संयुक्त योजना	8024.00	तथैव
32.	अटरिया–खानीपुर रोड से चंद्रिका देवी माल रोड के 0.00 कि.मी. से 12.600 कि.मी. तक गोमती नदी के वाएं किनारे पर मार्जिनल तटबंध के निर्माण की योजना	1470.35	तथैव
33.	देवरिया जिला में घाघरा नदी के वाएं किनारे पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों की योजना	1701.72	तथैव
34.	मोरादाबाद जिला में रामगंगा नदी के दाहिने किनारे पर कोथीवाल डेंटल कॉलेज से वाईपास रोड ब्रिज तक रामगंगा तटबंध के निर्माण की योजना	13416.00	तथैव
35.	बांदा जिला में केन नदी से बांदा सिटी के बाढ़ के पानी को बाहर निकालने के लिए पम्प हाऊस के निर्माण हेतु प्रोजेक्ट	1857.00	योजना परीक्षाधीन
36.	गोरखपुर जिला में राप्ती नदी के दाहिने किनारे पर वैरिया–सरिया बांध के निर्माण की योजना प्राक्कलन	3306.28	तथैव
37.	देवरिया जिला में मंझौली–चंदौली तटबंध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, खैरात रायवाड़ी तटबंध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण एवं 02 कि.मी. बढ़ोत्तरी, कुकुरघाटी–भिंगारी तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं 1.5 कि.मी. बढ़ोत्तरी तथा कुशीनगर जिला में राजपुर बरहरा तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं (–) 1. 275 कि.मी. बढ़ोत्तरी की योजना	1493.01	तथैव
	उत्तराखण्ड		
1.	जनजाति प्रखण्ड–कलसी, जिला–देहरादून में यमुना नदी से ग्राम–रूहदा (हरिपुर) की बाढ़ सुरक्षा	1043.00	योजना तकनीकी–आर्थिक रूप में स्वीकृत

क्र. सं.	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रू. में)	स्थिति
2.	जनजाति प्रखण्ड–चकराटा जिला–देहरादून में अमलाबा नदी से ग्राम–कलसी में इंदिरा कॉलनी की बाढ़ सुरक्षा योजना	793.00	तथैव
3.	देहरादून जिला में रिपसाना नदी एवं इसकी सहायक नदियों पर 04 बाढ़ योजनाओं के अधीन बाढ़ सुरक्षा कार्य	920.90	तथैव
4.	देहरादून जिला में सौंग नदी एवं इसकी सहायक नदियों की 03 बाढ़ योजनाओं सहित बाढ़ सुरक्षा कार्य	869.60	तथैव
5.	पिथौरगढ़ जिला में काली नदी एवं इसकी सहायक नदियों पर बाढ़ सुरक्षा योजना की प्रोजक्ट	794.32	योजना की जांच की गई एवं टिप्पणी राज्य सरकार को भेजी गई
6.	कोसी एवं ढेला नदी (रामगंगा नदी की सहायक नदी) पर बाढ़ सुरक्षा योजना	1231.39	तथैव

योजनाओं के मूल्यांकन का संक्षिप्त स्थिति

राज्य	स्वीकृत योजनाएं	योजना की जांच की गई और टिप्पणियां भेजी गई	जांच के अधीन योजनाएं
बिहार	6	2	1
झारखण्ड	–	–	–
पश्चिम बंगाल	1	1	–
उत्तर प्रदेश	4	30	3
उत्तराखण्ड	4	2	–
हिमाचल प्रदेश	–	–	–
कुल	**15**	**35**	**4**

6 राज्यवार चल रही बाढ़–प्रबंधन योजनाओं का मॉनिटरिंग

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग केन्द्रीय निधि के अधीन की बाढ़–प्रबंधन योजनाओं की भौतिकी एवं वित्तीय प्रगति की मॉनिटरिंग करता है तथा मॉनिटरिंग रिपोर्ट जल संसाधन मंत्रालय को नियमित रूप से भेजे जाते हैं। वर्ष 2011–12 के दौरान जी.एफ.सी.सी. के अधिकारियों द्वारा नीचे दिए गए ब्योरा के अनुसार बाढ़ प्रबंधन योजनाओं की मॉनिटरिंग की गयी तथा मॉनिटरिंग रिपोर्ट तैयार कर उसे जल संसाधन मंत्रालय को भेजा गया।

क्र. सं	योजना कोड	योजना का नाम	अनुमोदित लागत (लाख रू. में)
		बिहार	
1.	बी.आर.–1	कमला तटबंधों का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	5209.26
2.	बी.आर.–19	खगड़िया शहर सुरक्षा योजना पार्ट–II	1339.18
3.	बी.आर.–20	खगड़िया शहर सुरक्षा योजना पार्ट–III	550.86
4.	बी.आर.–31	कोसी तटबंध का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	33939.00
5.	बी.आर.–32	भुतही बलान तटबंध का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार कार्य	3714.00
6.	बी.आर.–36	भोजपुर एवं बक्सर जिलों में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर बी.के.जी. तटबंध के केवटिया गांव के निकट सी.एच. 135.160 (सेक्टर–बी.), मझरिया गांव के निकट सी.एच. 143–160 और नैनिजोर गांव के निकट (सेक्टर–सी) सी.एच. 1491–1505.75 के बीच कटावरोधी कार्य	755.05
7.	बी.आर.–38	महानन्दा बाढ़ प्रबंधन योजना (फेज–1 अनुमोदित), महानन्दा बेसिन के लिए 603.88 करोड़ रू. का डी.पी.आर. अनुमोदित)	14968.80
8.	बी.आर.–42	लोअर नून तटबंधों में ईंट सोलिंग रोड एवं अन्य संबंधित कार्यों का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	2671.00

क्र. सं	योजना कोड	योजना का नाम	अनुमोदित लागत (लाख रू. में)
9.	बी.आर.–43	महानन्दा नदी के दाहिने तटबंध पर गोबिन्दपुर के निकट लावाचौकिया पहाड़पुर के 20.98 कि.मी. (सी.एच. 688) पर ब्रीच क्लोजर सहित कटावरोधी कार्य तथा महानन्दा नदी के वाएं तटबंध के ऊपरी भाग पर 0.00 कि.मी. से 2.58 कि.मी. (सी.एच.–84.50) तक आजमनगर रिंग बांध के नदी पद्धति पर मोटा ईंट सोलिंग	1117.42
10.	बी.आर.–45	पश्चिम चम्पारण जिला में गंडक नदी के पी.डी. रिंग बांध के 27 से 32 मील के बीच कोयरपट्टी ग्राम में कटावरोधी कार्य एवं पी.डी. रिंग बांध के 27 से 32 मील के बीच के भाग का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	1980.00
झारखण्ड			
1.	जे.एच.के. –1	गेरूआ नदी पर सी.एच. 0.00 से 855.00 तक सिवरिया गोरेगामा योजना के दाएं तटबंध का जीर्णोद्धार, गैप बंदी एवं सुरक्षा कार्य	2012.00
2.	जे.एच.के. –2	साहिबगंज जिला के नारायणपुर में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर कटावरोधी कार्य	927.00
3.	जे.एच.के. –3	साहिबगंज जिला में बुधवारिया से कन्हैयास्थान तक गंगा नदी के दाहिने किनारे तक कटावरोधी कार्य	991.00
उत्तर प्रदेश			
1.	यू.पी.–1	गोरखपुर जिला में कौड़ीराम से खजनी–गोरखपुर सड़क तक आमी नदी के दाहिने तरफ तटबंध का निर्माण	1307.27
2.	यू.पी.–2	गोरखपुर जिला में कौड़ीराम से खजनी–गोरखपुर सड़क तक आमी नदी के वाएं तरफ तटबंध का निर्माण	1294.94
3.	यू.पी.–14	जे.पी. नगर, शाहजहांपुर, मेरठ और बुलन्दशहर जिलों में गंगा नदी के वाएं एवं दाहिने किनारे पर बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु योजना	3241.70
4.	यू.पी.–15	सिद्धार्थनगर एवं गोरखपुर जिले में राप्ती नदी के वाएं एवं दाहिने किनारे पर बाढ़ सुरक्षा कार्य की योजना	6889.00
5.	यू.पी.–16	लखीमपुर खेरी जिला में घाघरा नदी के दाहिने किनारे पर अनेक छोटे गांवों की बाढ़ सुरक्षा हेतु कटावरोधी कार्यों की योजना	3040.00
6.	यू.पी.–17	लखीमपुर खेरी जिला में शारदा नदी के वाएं एवं दाहिने किनारे के गांवों की रक्षा के लिए कटावरोधी योजना	2504.00

क्र. सं	योजना कोड	योजना का नाम	अनुमोदित लागत (लाख रू. में)
7.	यू.पी.–18	मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, अलीगढ़ एवं मथुरा जिलों में यमुना नदी के वाएं एवं दाएं किनारे पर बाढ़ सरुक्षा कार्यों की योजना	4380.00
8.	यू.पी.–19	बिजनौर एवं मुरादाबाद जिले में रामगंगा नदी के वाएं एवं दाएं किनारे तथा खो एवं कोसी नदी के दाहिने किनारे पर बाढ़ सुरक्षा कार्य की योजना	1165.00
9.	यू.पी.–20	बागपत एवं गौतमबुद्ध नगर जिलों में हिण्डन नदी के वाएं एवं दाहिने किनारे पर बाढ़ सुरक्षा कार्य की योजना	1432.00
उत्तराखण्ड			
1.	यू.के.–1	भोगपुर से बालावली तक दाएं मार्जिनल बांध का निर्माण	2069.49
2.	यू.के.–3	देहरादून जिला में हिलसावाली, मालदेवता, चकजोगीवाल, सहाबानगर एवं खादरी गांव की सुरक्षा हेतु सौंग नदी पर तटबंध का निर्माण	747.11
3.	यू.के.–4	देहरादून जिला में दुलहानी नदी के नेहरूग्राम, मिन्यावाला एवं सुन्दरवाला गांवों की बाढ़ सुरक्षा कार्य	566.60
4.	यू.के.–5	नन्धौर नदी एवं इसकी सहायक नदियों से नैनीताल एवं उद्यमसिंह नगर जिला में चौरगलिया एवं सितारगंज की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्ष्ज्ञा योजना	1423.87
पश्चिम बंगाल			
1.	डब्लू.बी. –1	नशीबपुर जिला–हुगली में सी.एच. 0.00 (ऑफ टेल) से सी.एच. 141.00 (संकरेल में आउटफॉल) तक दक्षिण सरस्वती नदी (ऊपरी एवं निचली भाग) का सुधार कार्य	3210.00
2.	डब्लू.बी. –9	दक्षिण 24 परगना जिला में थाना–नामखाना और थाना–पाथेर प्रतिमा में मौजा हरिपुर, टटाला और मौजा इन्द्रपुर (कुल लम्बाई 1130 मी. में सर्वे/क्षतिग्रस्त सुन्दरवन तटबंध का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य	463.57
3.	डब्लू.बी. –11	बेसंती बाजार के निकट होगल नदी के दाहिने एवं वाएं किनारे पर सोनारवाली के 07 मौजा में सुन्दरवन तटबंध एवं विद्या नदी के संगम एवं म चांदीपुर के मौजा महेशपुर में मृदंगाभंगा नदी के वाएं किनारे पर करताल और मौजा पुरवा श्रीपाथनगर में ठकुरान नदी के दाहिने किनारे पर सुन्दरवन तटबंध का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य	1085.18
4.	डब्लू.बी. –12	बंगाल की खाड़ी का सामने मौजा पोटीबोनिया (ए.वी. एवं वी.सी., सी.डी. एवं डी.क्यू क्षेत्र) में सुन्दरवन तटबंध का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य	1498.61

क्र. सं	योजना कोड	योजना का नाम	अनुमोदित लागत (लाख रू. में)
5.	डब्लू.बी. –14	मुर्शिदाबाद जिला में सुन्दरपुर एवं वसंतपुरम काजीपराटो नवाग्राम एवं सहारबाटीटो उत्तरासन मुहाने तथा नदिया जिला में सन्यालचर में भागीरथी नदी के दोनों किनारों पर तट सुरक्षा योजना	2366.00
6.	डब्लू.बी. –15	आईचलीपारा, मोया, गलादरिया, पचिमबीचपारा में गंगा पद्मा नदी के दाहिने ओर (मुर्शिदाबाद जिला में बाबनाबाद एवं नादिया जिला में बासूबाड़ी) तक सुरक्षा कार्य हेतु योजना	2813.00

मॉनिटरिंग रिपोर्ट एवं जी.एफ.सी.सी. की अनुशंसा के आधार पर जल संसाधन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान बिहार, झारखण्ड, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों को कुल 332.63 करोड़ रू. की राशि स्वीकृत की गई। बाढ़–प्रबंधन कार्यक्रम के अधीन वर्ष 2011–12 तक कुल 1683.00 करोड़ रू. की राशि दी गई। जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है :–

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	राज्य	अनुमोदित केन्द्रीय सहायता	2011–12 में दी गई राशि	11वीं योजना (2007–12) में कुल स्वीकृत राशि
1.	बिहार	1089.92	178.80	680.79
2.	झारखण्ड	29.48	6.54	17.07
3.	उत्तराखण्ड	104.62	22.99	49.62
4.	हिमाचल प्रदेश	31.21	–	16.20
5.	उत्तर प्रदेश	458.15	72.51	254.42
6.	प0 बंगाल	1349.81	51.79	629.47
7.	10वीं योजना की स्पील ओभर की राशि	–	–	35.43
	कुल	**3063.19**	**332.63**	**1683.00**

————————

7 नदी प्रबंधन तथा सीमा क्षेत्रों से संबंधित कार्य

11वीं योजना अवधि के दौरान जल संसाधन मंत्रालय ने जल संसाधन विकास एवं बाढ़–प्रबंधन क्रिया–कलापों के लिए ''नदी प्रबंधन क्रिया–कलाप एवं सीमा क्षेत्रों से संबंधित कार्यों'' शीर्षक से एक योजना का काम लिया है। इस योजना में कोसी एवं गंडक प्रोजेक्ट्स की बाढ़ सुरक्षा कार्यों का अनुरक्षण कार्य एवं भारत और बंगला देश के बीच साझा/सीमा की नदियों पर तट सुरक्षा कार्यों को करने की व्यवस्था शामिल की गई है।

7.0 कोसी एवं गंडक प्रोजेक्ट्स पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों का अनुरक्षण

7.1 कोसी पर सुरक्षा कार्य

कोसी उच्च स्तरीय समिति का गठन वर्ष 1978 में उस समय के सिंचाई विभाग, बिहार सरकार द्वारा अध्यक्ष, जी.एफ.सी.सी. की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति का काम नदी पर अबतक किए गए सुरक्षा कार्यों की समीक्षा/जांच करना तथा अगले बाढ़ मौसम से पहले की जानी वाली सुरक्षात्मक उपायों की अनुशंसा करना है। तब से यह समिति प्रत्येक वर्ष सुरक्षा कार्यों का निरीक्षण करती है तथा अगले बाढ़ मौसम से पहले नदी पर किए जाने वाले सुरक्षा कार्य के संबंध में अनुशंसा करती है। राज्य सरकार समिति की अनुशंसाओं के आधार पर योजनाओं का निष्पादन करती हैं।

समिति का मौजूदा गठन नीचे दिया गया है :–

1.	अध्यक्ष, जी.एफ.सी.सी., पटना	अध्यक्ष
2.	सदस्य(आर.एम.), केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
3.	निदेशक, सी.डब्लू.पी.आर.एस., पुणे या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
4.	अभियंता प्रमुख(उत्तर), जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
5.	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, दरभंगा	सदस्य
6.	मुख्य अभियंता(अनुसंधान), जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, खगौल	सदस्य
7.	मुख्य अभियंता (जल विज्ञान एवं प्रोजेक्ट प्लानिंग), जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
8.	निदेशक, पूर्वी क्षेत्र, जल संसाधन विभाग, नेपाल सरकार, विराट नगर	सदस्य
9.	उप महानिदेशक, जल संसाधन विभाग, नेपाल सरकार, काठमांडू	सदस्य
10.	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, वीरपुर	सदस्य–सचिव

पिछले वर्षों की तरह कोसी उच्च स्तरीय समिति ने अक्तूबर, 2011 में सुरक्षा कार्यों का निरीक्षण किया तथा वर्ष 2012 के बाढ़ से पहले किए जाने वाले कार्यों की अनुशंसा की।

बिहार सरकार द्वारा नेपाल क्षेत्र में किए जाने वाले सुरक्षा कार्यों पर की गई व्यय की पूरी राशि की प्रतिपूर्ति केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा की जाती है। नेपाल क्षेत्र में कोसी नदी की सुरक्षा में शामिल राशि की प्रतिपूर्ति बिहार सरकार से प्राप्त व्यय विवरण के आधार पर की जाती है।

7.2 गंडक नदी पर सुरक्षा कार्य

इसी प्रकार गंडक उच्च स्तरीय समिति का आरंभिक गठन उस समय के सिंचाई मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. 10/12/80–एफ.सी. दिनांक 12 नवम्बर 1981 के द्वारा किया गया। इस समिति का कार्य 1981 के बाढ़ के दौरान उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्यों में गंडक नदी पर के दाहिने किनारे पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों की कार्यकारिता मूल्यांकन करना तथा वर्ष 1981–82 के लिए दोनों राज्यों में निर्माण संबंधी क्रियाकलापों पर दिशा–निर्देश की कार्य अवधि समय–समय पर बढ़ाई गयी। जल संसाधन मंत्रालय के पत्रांक 5/15/2002/पू.न./गंगा/1219–27 दिनांक 21.3.2006 के द्वारा गंडक उच्च स्तरीय समिति का अब नया नाम ''गंडक उच्च स्तरीय स्थायी समिति'' हो गया है।

समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:–

- उत्तर प्रदेश एवं बिहार की राज्य सरकारों द्वारा अब तक निष्पादित बाढ़ नियंत्रण एवं कटावरोधी कार्यों की समीक्षा करना तथा बाढ़ के दौरान उनकी कार्यकारिता मूल्यांकन का काम करना।
- कार्यों से संबंधित एक कार्यक्रम की अनुशंसा करना जिसे दोनों राज्यों द्वारा समन्वित रूप में निष्पादित किया जा सके।
- राज्यों में निर्माण संबंधी क्रिया–कलापों का मार्गदर्शन करना तथा यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसके निराकरण हेतु किए जाने वाले कार्य हेतु सलाह देना तथा यह भी सुनिश्चित करना कि प्रत्येक वर्ष जून तक राज्यों द्वारा सभी आवश्यक कार्य पूरे कर लिए जाएं।

इस समिति के अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष हैं। समिति का गठन नीचे दिया गया है :–

1.	अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	अध्यक्ष
2.	अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
3.	अभियंता प्रमुख, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
4.	केन्द्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केन्द्र, पोस्ट–खड़गवासला, पूणे के प्रतिनिधि	सदस्य
5.	मुख्य अभियंता(अनुसंधान), जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना	सदस्य
6.	निदेशक, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, उत्तराखण्ड सरकार, रूड़की	सदस्य
7.	निदेशक(समन्वय), गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	सदस्य–सचिव

इसके गठन से लेकर वर्ष 2011–12 तक इस समिति की 44 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं तथा अगले बाढ़ से पहले किए जाने वाले सुरक्षा कार्यों की अनुशंसाएं की गई हैं। संबंधित राज्य सरकारों ने समिति की अनुशंसाओं के अनुसार कार्यों का निष्पादन किया।

वर्ष 2011–12 के दौरान अक्तूबर, 2011 माह में इस समिति के द्वारा बैठक/स्थल निरीक्षण किया गया तथा 2012 के बाढ़ से पहले किए जाने वाले कार्यों की अनुशंसाएं की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नेपाल क्षेत्र में गंडक नदी के दाहिने किनारे पर की गई बाढ़ सुरक्षा कार्यों पर किए गए व्यय राशि की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

7.3 पश्चिम बंगाल में साझी सीमा पर स्थिति नदियों की योजनाएं

54 नदियां भारत और बंगलादेश से मिली हुई है। बहुत से स्थानों पर इन नदियों की प्रवृत्ति दोनों तरफ के किनारों के कटाव द्वारा इसके दिशा बदलने की रही है। दोनों देशों द्वारा गंभीर कटाव स्थलों की पहचान की गई है और दोनों देशों के परामर्श से ऐसे स्थलों के तट सुरक्षा कार्यों को अंतिम रूप दिया गया है।

गंगा बेसिन में 24 (चौबीस) ऐसे स्थलों की पहचान की गयी है। ये सभी स्थल सात नदियों यथा– महानन्दा, नागर, पुनर्भावा, अटारी, कुलिक, काराटोवा एवं टांगो में स्थित है। सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत उन स्थलों के लिए तट सुरक्षा कार्य शुरू कर रहा है।

केन्द्रीय योजना ''नदी प्रबंधन क्रिया–कलापों एवं सीमा नदियों से संबंधित कार्य'' के अधीन की राशि से राज्य सरकार द्वारा साझी/सीमा नदियों पर उपयुक्त 24 स्थलों पर तट सुरक्षा कार्यों के लिए 13 (तेरह) योजनाएं ली गई है, जिसमें से 07 योजना अब पूर्ण कर ली गई हैं।

इसके अतिरिक्त भारत–बंगलादेश की सीमा पर इच्छामती नदी के गाद निकालने की योजना भी ली गई है और कार्य पूर्ण हुआ।

उपर्युक्त उल्लिखित कार्य योजना के अधीन दी गई निधि का वर्षवार स्थिति नीचे दिया गया है :–

(करोड़ रू. में)

क्र. सं.	राज्य	2007–08 में प्रदत्त निधि	2008–09 में प्रदत्त निधि	2009–10 में प्रदत्त निधि	2010–11 में प्रदत्त निधि	2011–12 में प्रदत्त निधि	कुल
1.	पश्चिम बंगाल	–शून्य–	–शून्य–	17.51	71.31	39.49	128.49

————————

8 पड़ोसी देशों के साथ सहयोग

8.1 भारत–नेपाल सहयोग

अनेक नदियां यथा– गंडक, बागमती, कमला, कोसी नदी आदि का उद्‌गम नेपाल में है और भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करने से पहले ये नदियां नेपाल के पर्वतीय रास्तों से होकर बहती हैं। ऊपरी क्षेत्रों में भारी वर्षा से सिर्फ प्रचण्ड बाढ़ ही नहीं आती बल्कि भारत के मैदानी क्षेत्रों में भारी मात्रा में गाद भी लाती है। अतः दोनों देशों के बीच बाढ़ और गाद की समस्या को कम करने के लिए प्रभावकारी उपाय करने वास्ते उचित समन्वय के साथ समेकित तरीके से कार्य किया जाना है। इस संदर्भ में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग सभी तकनीकी जानकारी एवं दिशा–निर्देश प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।

सामान्यतः नेपाल से निकलने वाली नदियों के कारण बिहार एवं उत्तर प्रदेश में बाढ़ आती है। बाढ़ की समस्या का दीर्घकालिक निदान वाटर शेड मैनेजमेंट एवं बहुउदेश्शीय प्रोजेक्ट्स के निर्माण के साथ बाढ़ को कम करने के लिए ऊपरी क्षेत्रों में फल्ड कुशन के निर्माण में निहित है। चूंकि बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए जलाशयों/डैमों का उचित स्थलों की अवस्थिति नेपाल में हैं तथा इन नदियों पर डैमों/जलाशयों का निर्माण नेपाल सरकार के साथ हुए समझौता पर निर्भर करता है।

भारत सरकार नेपाल से निकलने वाली नदियों के भयानक बाढ़ से होने वाले विनाश को कम करने के उद्धेश्य से नेपाल सरकार के साथ लगातार वार्ता करती रही है। मौजूदा व्यवस्था एवं बेहतर समझदारी के साथ कार्यों के कार्यान्वयन सहित जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु उच्च स्तरीय वार्ता के लिए समिति बनायी गयी। दोनों देशों के जल संसाधन सचिवों के नेतृत्व में गठित इंडो–नेपाल ज्वाईंट कमिटी ऑन वाटर रिसोर्सेज (जे.सी.डब्लू. आर) अन्य सभी समितियां एवं अन्य समूह इसके अधीन काम कर रही है। जे.सी.डब्लू.आर. की अबतक 05 बैठकें आयोजित हो चुकी है जिसमें बाढ़–प्रबंधन पहलुओं तथा नेपाल से निकलने वाली नदियां यथा– सप्त कोसी नदी, सन कोसी नदी, पंचेश्वर बहुद्धेश्शीय प्रोजेक्ट्स और अन्य संबंधित विषय आदि सहित जल संसाधन सेक्टर में द्विपक्षीय सहयोग की समस्त बातें शामिल रहती हैं।

बिहार में सुरक्षित क्षेत्र में नेपाल की ओर से निकलने वाली बागमती, कमला, लालबकेया एवं खांडो नदियों के बाढ़ के पानी के फैलने से रोकने के लिए दोनों पक्ष, भारतीय भाग में तटबंधों के क्रमशः सुदृढ़ीकरण के साथ भारत–नेपाल सीमा से नेपाल में ऊपरी भूमि तक इन नदियों से लगे तटबंधों के विस्तार पर सहमत हैं। इन पहलुओं से संबंधित कार्य निष्पादन विभिन्न चरणों में हैं।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग निम्नलिखित समितियों में प्रमुख या सदस्य के रूप में तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है।

1. संयुक्त स्थायी तकनीकी समिति (जे.एस.टी.सी.)

जल संसाधन पर गठित भारत–नेपाल संयुक्त समिति (जे.सी.डब्लू.आर) की काठमांडू (नेपाल) दिनांक 29.9.2008 से 01.10.2008 तक आयोजित 03 बैठक के दौरान इस समिति का गठन किया गया था। जे.एस.टी.सी. का काम जे.सी.डब्लू.आर. के अधीन की मौजूदा समितियों एवं उप समितियों के कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करना है। इस समिति का गठन (भारतीय पक्ष) एवं विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :–

1.	अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	दल प्रमुख
2.	आयुक्त(गंगा), जल संसाधन मंत्रालय	सदस्य
3.	संयुक्त सचिव(जल विज्ञान), ऊर्जा मंत्रालय	सदस्य
4.	मुख्य अभियंता (यू.जी.बी.ओ.), केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ	सदस्य
5.	मुख्य अभियंता(एच.पी.एण्ड. आई.), सी.ई.ए.	सदस्य
6.	निदेशक(उत्तर), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
7.	ई.ओ.आई., काठमांडू के प्रतिनिधि	सदस्य
8.	अभियंता प्रमुख(उत्तर), जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
9.	उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि	सदस्य
10.	पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
11.	उत्तराखण्ड सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
12.	वरीय संयुक्त आयुक्त, जल संसाधन मंत्रालय	सदस्य–सचिव

जे.एस.टी.सी. के विचारार्थ विषय

- जे.सी.डब्लू.आर.के अधीन सभी मौजूदा समितियों एवं उप समितियों का समन्वय करना।

जे.एस.टी.सी. की अबतक तीन बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। इस समिति की अंतिम बैठक दिनांक 13–14 सितम्बर, 2011 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी, जिसमें द्विपक्षीय सरोकार पर विचार–विमर्श हुए तथा निर्णय लिए गए।

2. जल प्लावन एवं बाढ़–प्रबंधन पर गठित संयुक्त समिति (जे.सी.आई.एफ.एम.)

इस समिति का गठन जल संसाधन पर गठित भारत–नेपाल संयुक्त समिति की नई दिल्ली मे दिनांक 12–13 मार्च, 2009 को आयोजित चौथी बैठक में किया गया था। यह समिति पूर्व के द्विपक्षीय समिति यथा– एस.सी.आई.पी., एच.एल.टी.सी., जे.सी.एफ.एस.एम., एस.सी.ई.सी. एवं एस.सी.एफ.एफ. का स्थान लेगी। इस समिति (भारतीय पक्ष) का गठन एवं इसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:–

क्र.सं	भारतीय पक्ष का गठन	
1.	सदस्य(समन्वय), गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना	दल प्रमुख

2.	मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
3.	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार/ मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार/ अध्यक्ष, उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग, पश्चिम बंगाल सरकार	सदस्य
4.	निदेशक(उत्तर), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
5.	वरीय संयुक्त आयुक्त, जल संसाधन मंत्रालय	सदस्य
6.	ई.ओ.आई., काठमांडू के प्रतिनिधि	सदस्य
7.	निदेशक(एम.पी.–2), जी.एफ.सी.सी., पटना	सदस्य–सचिव
8.	निदेशक(वित्त), विदेश मंत्रालय/जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य

जे.सी.आई.एफ.एम. के विचारार्थ विषय

1. जे.सी.आई.एफ.एम. जल प्लावन एवं बाढ़ मामले में जे.सी.टी.सी. के निर्णयों के कार्यान्वयन में सुरक्षा समिति के रूप में काम करती है।
2. जे.सी.आई.एफ.एम. बाढ़ प्रबंधन एवं जल प्लावन से संबंधित विषयों का काम करेगी तथा यदि आवश्यकता हुई तो टॉस्क समूह (समूहों) का गठन कर सकती है।
3. जे.सी.आई.एफ.एम. कार्यों की प्रगति का मॉनिटरिंग करेगी तथा टॉस्क समूह (समूहों) को दिशा–निर्देश प्रदान करेगी और जे.सी.टी.सी. को रिपोर्ट भेजती है।

वर्ष 2011–12 दो बैठकें सहित जे.सी.आई.एफ.एम. की अबतक छः बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। अंतिम जांच/बैठक जनवरी, 2012 में नेपाल में हुई है, जिसमें जल प्लावन एवं बाढ़ प्रबंधन से संबंधित विभिन्न साझा मामलों पर विचार–विमर्श हुआ तथा निर्णय लिए गए।

8.2 भारत–बंगलादेश सहयोग

भारत–बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग(जे.आर.सी.) का गठन नवम्बर, 1972 में भारत और बंगलादेश के बीच साझी/सीमा नदियों से संबंधित विषयों पर विचार–विमर्श एवं उसके समाधान के लिए किया गया था। यह संगठन साझा/सीमा नदियों पर विकास कार्यों से संबंधित साझा समस्याओं के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करती है और इससे किसी भी पक्ष को कोई नुकसान नहीं है।

उपर्युक्त आयोग के संरक्षण में नियमित अंतराल पर तथा विभिन्न स्तरों पर संबंधित विषयों पर विचार–विमर्श हेतु बैठकें आयोजित हुई है। ऐसी बैठकों में लिए गए निर्णयों का आयोग द्वारा अभिपुष्टि की जाती है।

साझा/सीमा नदियों में बाढ़ प्रबंधन से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार–विमर्श हुए हैं। गंगा बेसिन से संबंधित विषयों पर हुए विचार–विमर्श का सारांश नीचे दिए गए हैं :–

तट सुरक्षा कार्य

भारत और बंगलादेश के बीच की साझी/सीमा की प्रायः नदियॉ जलोढ मैदानी भूभाग से होकर बहती हैं तथा दोनों ओर इसके विसर्पी अवस्था एवं तट कटाव के कारण इसकी दिशा में परिवर्तन होती रहती है। नाजूक स्थलों पर कटाव रोकने हेतु तट सुरक्षा कार्य जरूरी है। इस विषय पर जे.आर.सी. की वर्ष 2005 की 36वीं बैठक एवं बाद के विभिन्न अवसरों पर विचार–विमर्श हुआ था। बाद में अगस्त, 2007 में भारत–बंगलादेश के बीच सचिव, जल संसाधन स्तर की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पहचान किए गए स्थलों पर तट सुरक्षा कार्य का सम्पादन समान विनिर्दिष्ट कार्यों के साथ तीन लगातार कार्य सत्रों के निर्दिष्ट समय में दोनों ओर पर एक ही समय में किए जाए। दिसम्बर, 2009 में तकनीकी स्तर की बैठक में लिए जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्यों को अंतिम रूप दिया गया। दोनों देशों के बीच आदान–प्रदान किए गए सूची के अनुसार भारत में 41 स्थलों और बंगलादेश में 28 स्थलों पर तट सुरक्षा कार्य प्रस्तावित थे। आवश्यकतानुसार और स्थलों को भी शामिल करने की आपसी सहमति थी।

8.3 इच्छामती नदी का ड्रेजिंग

इच्छामती नदी के आवाह क्षेत्र को जल निकास/जमाव की समस्या से छुटकारा दिलाने हेतु इच्छामती नदी के ड्रेजिंग से संबंधित विषय पर मई, 2005 के बाद कई बैठको में विचार–विमर्श किया गया । इन बैठको में लिए गए निर्णयो के अनुसार, इच्छामती नदी के बोरनोबेरिया से कलांची के बी.एस.एफ. ब्रीज तक (कुल लम्बाई 20.415 कि.मी.) से गाद मुक्ति कार्य मार्च, 2010 में आरंभ किया गया । यह योजना वर्ष 2011–12 में पूर्ण हुई।

———

9 हिंदी के प्रयोग की प्रगति

9.1 हिंदी का प्रगामी प्रयोग

अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की अध्यक्षता में इस आयोग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है। इस समिति में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के दोनों सदस्य, सभी निदेशक एवं उप निदेशक, प्रशासन अधिकारी, अध्यक्ष के आप्त सचिव, सहायक निदेशक(राजभाषा), हिंदी अनुवादक, आयोग के सभी शाखा प्रधान के साथ उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तथा हिंदी शिक्षण योजना के एक अधिकारी इसके सदस्य हैं। इस आयोग के सहायक निदेशक(राजभाषा) इस समिति के सदस्य–सचिव हैं। इस समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही आयोजित की जाती है। इन बैठकों में तिमाही प्रगति प्रतिवेदनों पर विस्तृत विचार–विमर्श किए जाते हैं और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर जोर दिया जाता है। यह समिति इस आयोग के दिन–प्रतिदिन के कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के वास्तविक स्थिति के आंकलन का काम करती है और कार्य सम्पादन में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के उपाय सुझाए जाते हैं। वर्ष 2011–12 के दौरान इस समिति की चार बैठकें आयोजित हुई थी।

अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, जल संसाधन मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति और पटना नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के भी सदस्य हैं। इस आयोग के अध्यक्ष या कोई वरिष्ठ अधिकारी उपर्युक्त समितियों की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेते हैं।

9.2 उपलब्धियां

9.2.1 वर्ष 2011–12 की उपलब्धियां

वर्ष 2011–12 के दौरान सामान्यतः सभी कार्यालय आदेश द्विभाषी यथा– हिंदी और अंग्रेजी में जारी किए गए। वर्ष 2011–12 के दौरान जी.एफ.सी.सी. द्वारा कुल 6504 पत्रादि जारी किए गए जिसमें 4221 पत्रादि हिंदी में थे। क्षेत्रवार ब्योरा नीचे दिया गया है :–

क्र.सं.	क्षेत्र	कुल निर्गत पत्रादि	हिंदी में निर्गत पत्रादि
1.	क	6351	4170
2.	ख	27	13
3.	ग	126	38
	कुल	**6504**	**4221**

हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्धेश्य से दिनांक 12.9.2011 से 26.9.2011 तक 'हिंदी पखवाड़ा' मनाया गया। इस अवधि में आयोग के कर्मचारियों के बीच हिंदी निबंध, टिप्पण/आलेखन, सामान्य हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मूल्यांकन पश्चात् सभी विजेताओं के बीच पुरस्कारों का वितरण किया गया।

आयोग के निम्नलिखित अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किया गया :–

(क)	**हिंदी निबंध प्रतियोगिता**	
क्र.सं.	**नाम/पदनाम**	**पुरस्कार**
1.	श्री राजीव कुमार पाण्डेय, आशुलिपिक	प्रथम
2.	श्री सतीश कुमार, अवर श्रेणी लिपिक	द्वितीय
3.	श्री अमरनाथ झा, प्रारूपक	तृतीय
4.	श्री तापस कुमार दास, आशुलिपिक	प्रोत्साहन

(ख)	**हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता**	
क्र.सं.	**नाम/पदनाम**	**पुरस्कार**
1.	श्री राजीव कुमार पाण्डेय, आशुलिपिक	प्रथम
2.	श्री आनन्द कुमार, आशुलिपिक	द्वितीय
3.	श्री अमरनाथ झा, प्रारूपक	तृतीय

(ग)	**सामान्य हिंदी/ज्ञान प्रतियोगिता (सिर्फ 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों के लिए)**	
क्र.सं.	नाम/पदनाम	पुरस्कार
1.	श्री बाल्मीकि प्रसाद, खलासी	प्रथम
2.	श्री इन्द्रदेव पासवान, आदेशपाल	द्वितीय
3.	श्री रामेश्वर यादव, खलासी	तृतीय

————————

10 प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं एवं सेमिनारों में भागीदारी

10.1 गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण/कार्यशाला/सेमीनार में भाग लिया गया।

वर्ष 2011–12 के दौरान गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों, कार्यशालाओं एवं सेमीनारों में नीचे दिए गए ब्योरा के अनुसार भाग लिया गया :–

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम/ कार्यशाला/सेमीनार	अवधि	अधिकारियों के नाम
1.	आई.एस.टी.एम., नई दिल्ली में ''डिस्पोजल ऑफ अपील अंडर आर. टी.आई.'' पर कार्यशाला	11.04.11	श्री एस.मसूद हुसैन, सदस्य(योजना)
2.	एन.डब्लू.ए., पूणे में ''कंट्रेक्ट मैनेजमेंट एण्ड फिनांसियल प्रोसिडूयर्स'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	11.4.11 से 15.4.11	श्री रवि भूषण कुमार, निदेशक(एम. पी.–1) श्री जी.के.सिंह, सहायक निदेशक–2
3.	आई.एस.टी.एम., नई दिल्ली में ''रिकार्ड मैंनेजमेंट फॉर राईट टू इनफोरमेंशन'' पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	18.4.11 से 21.4.11	श्री एम.ई.करीम, सहायक निदेशक–2
4.	पटना में ''रिन्यूएवल एनर्जी एक्शन प्लान फॉर बिहार'' विषय पर कार्यशाला का प्रस्तुतीकरण	27.4.11	श्री एस.एन.तिवारी, निदेशक(योजना)
5.	आई.एस.टी.एम., नई दिल्ली में ''माईक्रोसॉफ्ट वर्ड'' का प्रशिक्षण	10.8.11 से 12.8.11	श्री पप्पु लाल, अवर श्रेणी लिपिक श्री लड्डू लाल महतो, अवर श्रेणी लिपिक श्री सतीश कुमार, अवर श्रेणी लिपिक
6.	आई.एस.टी.एम., नई दिल्ली में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए ''माईक्रोसॉफ्ट एक्सल'' का प्रशिक्षण	03.9.11 से 05.9.11	श्री रामाशीष सिंह, कनीय संगणक श्री दिपीप कुमार सिंह, कनीय संगणक
7.	सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस. पर कार्यशाला	19.01.12	श्री उमेश कुमार शर्मा, उप निदेशक

————————

11 विभिन्न समितियों में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का प्रतिनिधित्व

अध्यक्ष, जी.एफ.सी.सी. और अन्य वरीय अधिकारियों का विभिन्न तकनीकी समितियों में या तो अध्यक्ष, सदस्य–सचिव या सदस्य के रूप में जी.एफ.सी.सी. का प्रतिनिधित्व है। ऐसी समितियों की सूची इस प्रकार है :–

क्र. सं.	समिति/बोर्ड/विशेषज्ञों/तकनीकी समूह आदि का नाम	जी.एफ.सी.सी. का प्रतिनिधित्व	
		अधिकारी	स्थिति
1.	गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद्	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य–सचिव
2.	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	अध्यक्ष
3.	गंडक उच्च स्तरीय स्थायी समिति	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	अध्यक्ष
4.	कोसी उच्च स्तरीय समिति	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
5.	जल संसाधन पर भारत–नेपाल मिनिस्ट्रेरियल आयोग (जे.एम.सी.डब्लू.आर.)	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
6.	जल संसाधन पर भारत–नेपाल संयुक्त समिति (जे.सी.डब्लू.आर.)	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
7.	भारत–नेपाल संयुक्त स्थायी तकनीकी समिति	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	भारतीय दल प्रमुख
8.	जल प्लावन एवं बाढ़ प्रबंधन पर भारत–नेपाल संयुक्त समिति (जे.सी.आई.एफ.एम.)	सदस्य(समन्वय), गं.बा.नि.आ.	दल प्रमुख
9.	कोसी एवं गंडक प्रोजेक्ट्स पर भारत–नेपाल संयुक्त समिति	सदस्य(समन्वय), गं.बा.नि.आ.	सदस्य
10.	नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी सोसाइटी	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
11.	उत्तर प्रदेश राज्य अभियंता समिति	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
12.	बिहार राज्य अभियंता समिति	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
13.	पश्चिम बंगाल राज्य अभियंता समिति	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
14.	मध्य प्रदेश राज्य अभियंता समिति	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	अध्यक्ष
15.	तकनीकी सलाहकार समिति, फरक्का बराज प्रोजेक्ट	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ. /सदस्य(योजना)	सदस्य

क्र. सं.	समिति/बोर्ड/विशेषज्ञों/तकनीकी समूह आदि का नाम	जी.एफ.सी.सी. का प्रतिनिधित्व	
		अधिकारी	स्थिति
16.	फरक्का बराज प्रोजेक्ट सलाहकार समिति	सदस्य(योजना)	सदस्य
17.	फरक्का बराज प्रोजेक्ट की निविदा समिति	सदस्य(योजना)	सदस्य
18.	तकनीकी सलाहकार समिति, बिहार	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
19.	तकनीकी सलाहकार समिति, उत्तर प्रदेश	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
20.	तकनीकी सलाहकार समिति, हिमाचल प्रदेश	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
21.	तकनीकी सलाहकार समिति, हरियाणा	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
22.	तकनीकी सलाहकार समिति, राजस्थान	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
23.	तकनीकी सलाहकार समिति, पश्चिम बंगाल राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद्	अध्यक्ष, जी.एफ.सी.सी. के प्रतिनिधि निदेशक(एम.पी.–1) जी.एफ.सी.सी.	सदस्य
24.	तकनीकी सलाहकार समिति, झारखण्ड	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
25.	तकनीकी सलाहकार समिति, उत्तराखण्ड	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
26.	तकनीकी सलाहकार समिति, छत्तीसगढ़	निदेशक, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
27.	तकनीकी सलाहकार समिति, मध्य प्रदेश	निदेशक(सम.), गं.बा.नि.आ.	सदस्य
28.	यमुना स्थायी समिति	सदस्य(योजना), गं.बा.नि.आ.	सदस्य
29.	समुद्र तट सुरक्षा एवं विकास सलाहकार समिति	सदस्य(योजना), गं.बा.नि.आ.	सदस्य
30.	एन.एन.आर.एम.एस., जल संसाधन पर स्थायी समिति (एस.सी.डब्लू.आर.)	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ.	सदस्य
31.	एन.आई.एच.रिजिनल कॉआर्डिनेशन कमिटी फॉर गंगा प्लेन नार्थ रिजिनल सेन्टर	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ. का प्रतिनिधि	सदस्य
32.	वाटर रिसोर्सेज डिवीजन काउंसिल ऑफ व्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड	अध्यक्ष, गं.बा.नि.आ. विकल्प में– सदस्य(सम.)	सदस्य
33.	रिवर ट्रेनिंग एण्ड डायवर्सन वर्क्स सेक्शनल कमिटी (डब्लू.आर.डी.–22) ऑफ व्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डस्	निदेशक(एम.पी.–II) जी.एफ.सी.सी. विकल्प में– निदेशक(योजना), जी.एफ.सी.सी.	सदस्य

————————

Table of Contents

	From Chairman's Desk	(ii)
	Highlights of the year 2011-12	(iii)
1.	Introduction	1
2.	Comprehensive Plans for Flood Management	10
3.	Assessment of Adequacy of Waterways Under Road and Rail Bridges	12
4.	Flood Management Programme (State Sector)	13
5.	Appraisal of Flood Management Schemes	15
6.	Monitoring of Ongoing Flood Management Schemes	22
7.	River Management Activities and Works related to Border Areas	26
8.	Cooperation with Neighbouring Countries	30
9.	Promotion of use of Hindi	34
10.	Participation in Trainings, Workshops and Seminars	36
11.	Representation of Ganga Flood Control Commission in Various Committees	37

From Chairman's Desk

The Ganga basin which covers the States of Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, and Delhi occurrence of floods in one part or the other is an annual feature during the monsoon period. Since the Ganga is an inter-state river, it is necessary to prepare integrated plans to tackle the flood and related problems of the basin and to ensure their implementation in a co-ordinated manner. Ganga Flood Control Commission was created in 1972 as a subordinate office of Ministry of Water Resources. Since its inception, GFCC has played a vital role in assisting the States to manage the floods in the Ganga basin. As a part of its mandate it has prepared comprehensive plans of all the 23 river systems of the Ganga basin and sent the same to the State Governments for taking follow up action on the suggestions made in these plans.

GFCC has carried out its assigned functions in an efficient and effective manner during the year 2011-12 which is described in detail in this report. Particular mention is to be made about the proactive role undertaken by the GFCC in the implementation of the scheme of Flood Management Programme in the Ganga basin, a scheme of national importance initiated by the Government of India during the 11th five year Plan. The scheme made good progress and a financial assistance to the tune of Rs.332.63 crore was provided to the Ganga basin States during the year 2011-12.

GFCC officers have played important role in tackling international issues with the Government of Nepal and Bangladesh in matters relating to flood and drainage management. The implementation of schemes on extension of the embankment on the international rivers of Lalbakeya, Bagmati and Kamla in Nepal has achieved good progress. The scheme for the removal of drainage congestion in the Ichamati, a common/border river in West Bengal has been completed.

It gives me great pleasure to present the Annual Report of GFCC for the year 2011-12 and I am sure that this report will give a comprehensive overview of the role of GFCC and its contribution in the field of flood management and other associated works in the Ganga basin during the year.

Bkumar

(Bibhas Kumar)
Chairman
Ganga Flood Control Commission

Highlights of the Year 2011-12

1. Techno-economic appraisal of 50 flood management schemes of various Ganga Basin States was carried out 15 schemes were cleared techno-economically by GFCC/TAC-MoWR while 35 schemes were examined and comments/observation were conveyed to State Govts.

2. Monitoring of 32 FMP Schemes pertaining to Bihar, Jharkhand, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh and West Bengal was done and an amount of Rs.332.63 crore was released to the FMP Schemes as central assistance during 2011-12.

3. GFCC monitors the construction of embankments on Kamla, Bagmati and Lalbakeya rivers in Nepal being funded by Government of India. Two meetings of India-Nepal Joint Committee on Inundation and Flood Management (JCIFM) which monitors the above work were held in June 2011 and January 2012.

4. Flood management schemes on common/borders rivers with Bangladesh in West Bengal and the scheme for desilting of Ichamati rivers- West Bengal with total funding under the Plan Scheme – "River Management Activities and Works related to Border Areas" were monitored by GFCC.

5. GFCC took a lead role in finalizing the recommendations for taking up flood management works on river Kosi and right bank of river Gandak before the floods of 2012 with Chairman, GFCC being the Chairman of both Kosi High Level Committee (KHLC) and Gandak High Level Standing Committee (GHLSC).

6. Updating of Comprehensive Plan of Kosi river and Rupnarain-Haldi-Rasulpur river system were under progress.

7. The 15th meeting of the Ganga Flood Control Board headed by Union Minister of Water Resources was held on 25th May, 2011 at New Delhi in which various issues related to floods and its management in Ganga basin states were discussed and decisions were taken for follow up action.

1 Introduction

1.1 Flood Problems in the Ganga basin

Two holy rivers originating from the glacial peaks of the Himalayas at an altitude of about 7000 meter, the Alaknanda and the Bhagirathi unite near Devprayag. The combined river called the Ganga traverses its course of 2525 km (1450 km in Uttar Pradesh including Uttarakhand, 110 km along U.P, Bihar border, 445 km in Bihar and Jharkhand and 520 km in West Bengal) to its outfall in to the Bay of Bengal. The important tributaries which join the Ganga in its course are the Ramganga, Gomati, Ghaghra, Gandak, Burhi Gandak, Kosi, Kamla, Bagmati and Mahananda on the left and Yamuna, Tons, Sone, Kiul, Ajoy, Damodar, Punpun and Rupnarayan on the right . The river Ganga is the master drain of the Ganga basin States. It drains a total catchment area of 10.68 lakh Sq. Km, out of which 8.61 lakh Sq. Km lies in India thus draining 26 percent area of India. The soil in the Gangetic plain is generally alluvial. All the major left bank rivers draining into the Ganga are of the Himalayan origin. On the other hand, out of the major right bank rivers only the Yamuna is of Himalayan origin and the rest of the major right bank rivers originate from the Vindhyas or the plateau between the Ganga and the Vindhyas.

Among the various Ganga basin States, the State of Bihar, particularly its northern part, U.P, particularly its eastern part and West Bengal are the worst flood affected states. The flood problems in the other Ganga basin states are not so severe. The reasons of flood problems in the Ganga basin are summarized as under:

(i) Heavy precipitation for long duration in the catchment.

(ii) Blockage of drainage by the Ganga in monsoon season.

(iii) Bank erosion by the river during the monsoon season.

(iv) Meandering of river causing loss of land, property and life.

(v) Inadequate bank full capacity.

(vi) Poor maintenance of flood control structures resulting in their damage during the monsoon period.

(vii) Inundation of villages situated within the flood plains of the rivers.

As regards erosion problems, longitudinal bed slopes of the river Ganga and its tributaries are steep in the upper reach, become flatter in middle reaches and are almost level in the lower reaches. The upper courses are noted predominantly for deep erosion i.e., bed retrogression. The scoured material is carried downstream by the flow and the middle courses have evidence of both erosion and

aggradation. The lower reaches where the bed slope is flatter and velocities are low, accumulation process i.e., sedimentation and accretion of the river bed is predominant. At the same time due to meandering, erosion and sedimentation take place simultaneously.

Ganga basin is spread over 11 States namely, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand and West Bengal. The Ganga basin has been divided into 23 river systems. The river systems of the basin are (1) The Gomati, (2) The Adhwara Group, (3) The Ghaghra, (4) The Mahananda, (5) The Kamla Balan, (6) The Burhi Gandak, (7) The Bagmati, (8) The Punpun, (9) The Kosi, (10) The Gandak, (11) The Ajoy, (12) The Kiul-Harohar, (13) The Damodar, (14) The Mayurakshi, (15) The Yamuna, (16) The Ramganga, (17) The Tons, (18) The Badhua Chandan, (19) The Rupnarain-Haldi-Rasulpur, (20) The Jalangi, (21) The Sone, (22) The Tidal rivers and (23) The Main Ganga Stem. Most of these rivers are interstate though few are within one State only.

A total area of 20.40 million hectares (about 50% of total flood prone area in the country) is prone to floods in these States and recurring floods cause huge loss to life and property every year.

The State-wise details of flood prone area in the Ganga basin so far are given below:

Sl. No.	**State**	**Flood Prone Area (in Lakh Ha.)**	
		As assessed by RBA	**As reported by States to 11th Plan Working Group**
1	Himachal Pradesh	2.30	2.31
2	Haryana	23.50	23.50
3	NCT of Delhi	0.50	0.70
4	Uttar Pradesh (including Uttarakhand)	73.36	73.40
5	Rajasthan	32.60	32.60
6	Madhya Pradesh (including Chhattisgarh)	2.60	3.37
7	Bihar (including Jharkhand)	42.60	68.80
8	West Bengal	26.50	37.66
	Total :	**203.96**	**242.34**

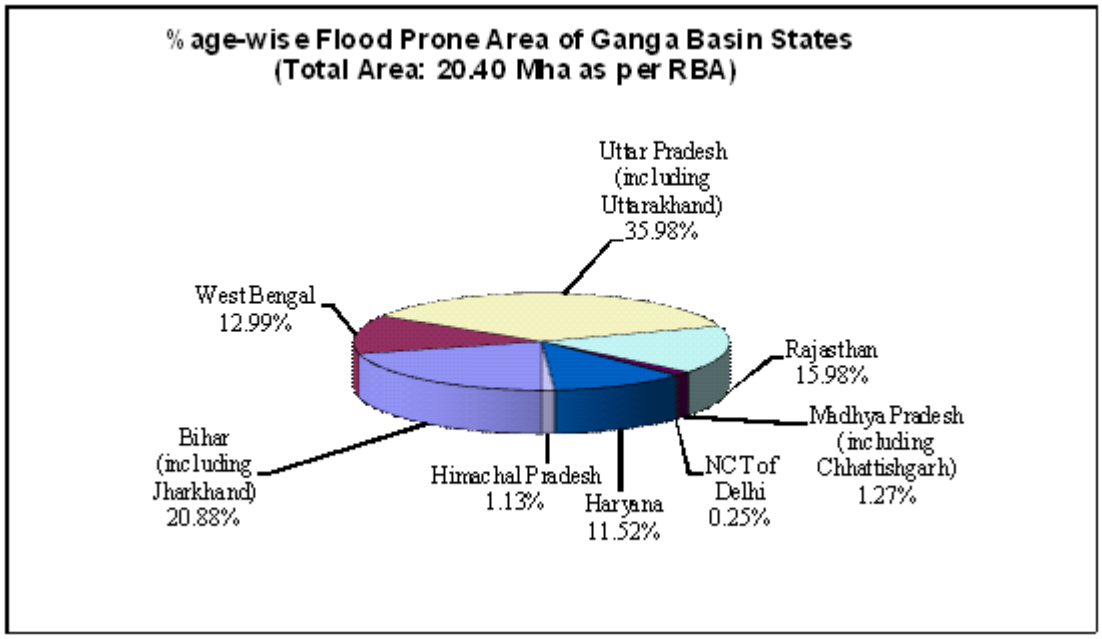

1.2 Ganga Flood Control Board

With the objective to effectively tackle the critical and chronic flood problems of the Ganga basin and to minimize the associated damages, it was considered necessary to prepare an integrated plan of flood management, erosion control etc. and facilitate quick drainage and its implementation in a comprehensive and coordinated manner. To achieve this objective, Ganga Flood Control Board (GFCB) was set up by the Government of India vide Resolution No..FC-47(2)/72 dated 18.4.1972, headed by the Hon'ble Union Minister of Water Resources.

Functions:

- To lay down the broad policies and decide priorities in the implementation of various schemes.
- To issue necessary directions to Ganga Flood Control Commission in respect of formulation of a comprehensive plan of flood control in the Ganga Basin and approval of the schemes so formulated.

1.3 Composition of Ganga Flood Control Board

The composition of Ganga Flood Control Board as notified by the Ministry of Water Resources vide Resolution no.22/3/99-ER/2586 dated 28.06.2001 is given below

1.	Union Minister of Water Resources	Chairman
2.	Union Minister of State for Water Resources	Member [#]
3.	Union Minister of Finance or his representative	Member
4.	Union Minister of Railways or his representative	Member

5.	Union Minister of Road Transport and Highways or his representative	Member
6.	Union Minister of Agriculture or his representative	Member
7.	Chief Minister of Bihar or his representative	Member
8.	Chief Minister of West Bengal or his representative	Member
9.	Chief Minister of Uttar Pradesh or his representative	Member
10.	Chief Minister of Haryana or his representative	Member
11.	Chief Minister of Rajasthan or his representative	Member
12.	Chief Minister of Madhya Pradesh or his representative	Member
13.	Chief Minister of Himachal Pradesh or his representative	Member
14.	Chief Minister of Jharkhand or his representative	Member
15.	Chief Minister of Uttarakhand or his representative	Member
16.	Chief Minister of Chhattisgarh or his representative	Member
17.	Member, Planning Commission	Member
18.	Chief Minister, NCT of Delhi or his representative	Member
19.	Chairman, Ganga Flood Control Commission	Member-Secretary

(Chairman in absence of Union Minister of Water Resources)

Up to March, 2012, 15 meetings of the Ganga Flood Control Board have been held. The 15th meeting of GFCB was held in May, 2011 at New Delhi in which various issues relating to floods and management in Ganga basin States were discussed and decisions taken for follow up action.

1.4 Ganga Flood Control Commission

To deal with floods and its management in the Ganga basin States, Ganga Flood Control Commission was created in the year 1972 vide Government of India Resolution No. F.C.47(3)/72 dated 18.4.1972 as a subordinate office of Ministry of Water Resources and as the Secretariat and executive limb of Ganga Flood Control Board with its headquarters at Patna.

The composition of Ganga Flood Control Commission (GFCC) is given below:

1.	Chairman, GFCC	Chairman
Full Time Members		
2.	Member (Planning), GFCC	Member
3.	Member (Co-ordination), GFCC	Member

Part Time Members

4.	Chief Engineer, Incharge of Flood Control, Water Resources Department, Government of Bihar.	Member
5.	Chief Engineer, Incharge of Flood Control, Water Resources Department, Government of Jharkhand.	Member
6.	Chief Engineer, Incharge of Flood Control, Irrigation Department, Government of Uttar Pradesh.	Member
7.	Chief Engineer, Incharge of Flood Control, Irrigation Department, Government of Uttarakhand	Member
8.	Chief Engineer, Incharge of Flood Control, Irrigation and Waterways Department, Government of West Bengal.	Member
9.	Engineer-in-Chief, Water Resources Department, Government of Madhya Pradesh.	Member
10.	Engineer-in-Chief, Water Resources Department, Government of Chhattisgarh.	Member
11.	Member (River Management), Central Water Commission, Government of India, New Delhi.	Member
12.	Director, Central Water and Power Research Station, Government of India, Pune.	Member
13.	Chief Engineer (Lower Ganga Basin), Central Water Commission, Government of India, Patna	Member
14.	Chief Engineer (Planning), Roads Wing, Ministry of Road Transport and Highways, Government of India.	Member
15.	Director (Civil Engineering Wing), Railway Board, Government of India.	Member

Permanent Invitees of the Commission

i) Chief Engineer, Incharge of Flood Control, Government of Haryana.
ii) Chief Engineer, Incharge of Flood Control, Government of Himachal Pradesh.
iii) Chief Engineer, Incharge of Flood Control, Government of Rajasthan.
iv) Chief Engineer, Incharge of Flood Control, Government of NCT of Delhi.
v) Director (B&S), R.D.S.O., Ministry of Railways, Lucknow.

1.5 Functions of GFCC

The functions of GFCC as originally envisaged are as under.

(a) Preparation of comprehensive plan for flood control in the Ganga Basin.

(b) To chalk out a phased and coordinated programme of implementation of the works included in the basinwise plans by the States concerned.

(c) Ensure proper standards of works and their regular maintenance.

Presently the broad functions of GFCC are as under:

- To prepare a Comprehensive plan of flood management in the Ganga basin. The field investigation and collection of data for the purpose are carried out by the State Governments as directed by the Ganga Flood Control Board.
- To draw out a phased and co-ordinated programme of implementation of works included in the basinwise plans.
- To advise the States concerned to follow guidelines in respect of quality control, material specifications and maintenance in order to ensure the implementation of works and the maintenance thereof to proper standards.
- To prepare the annual programme of works and recommend allocation of funds, wherever required for consideration of the Board.
- To make an assessment of the existing waterways under the road and rail bridges and to determine additional waterways to be provided for reducing the drainage congestion to reasonable limits.
- To monitor the execution of the important flood control schemes particularly those receiving central assistance or being executed under the central sector.
- To examine all major and medium flood control, drainage, anti waterlogging and anti-erosion schemes of Ganga basin States except for schemes of the States of Haryana, Uttar Pradesh and Delhi on the river Yamuna in the reach from Tajewala to Okhla barrage.
- Documentation and dissemination of findings emerging out of special studies or investigations conducted in participation with scientific organisations for appropriate use by basin States.
- To evaluate the performance of major flood control measures executed by the States including all the inter-State flood control schemes.
- To participate in various National and International Committees set up by the Govt. of India and the Ganga basin States pertaining to the subject of flood management.

GFCC apart from being engaged in the preparation and periodic updation of comprehensive master plans for flood management in the Ganga basin is also the agency for techno-economic appraisal of flood management schemes in the Ganga basin. It has also been given the task of coordinating several activities concerning flood management with Nepal.

A total of 43 meetings of the GFCC have been held so far. The 43rd meeting of GFCC was held in March, 2012 at Lucknow (Uttar Pradesh). In the

meetings, various issues pertaining to the Ganga Basin such as progress made in implementation of recommendations of Rashtriya Barh Ayog, preparation of flood plain zoning/flood risk maps, implementation of sub-basin wise comprehensive plans, monitoring and evaluation of flood management schemes, use of remote sensing techniques/satellite imageries for delineation of flood plain area, use of model studies before formulation and execution of flood management schemes, preparation of annual catalogue of flood management schemes etc. have been discussed and decisions taken thereon for follow up action by the Ganga basin States / Central organisations concerned.

1.7 Staff Strength in GFCC

The staff strength of GFCC as on 31.3.2012 is 69 against the sanctioned strength of 101. The details of the posts sanctioned and filled up are given below.

S.No.	Group	Sanctioned	Vacant	Filled
1	A	23	5	18
2	B (Gazetted)	13	4	9
3	B (Non-Gazetted)	7	-	7
4	C	42	19	23
5	D	16	5	11
	Total	**101**	**33**	**68**

In addition, 19 work-charged staff comprising of 3 drivers, 4 Work Assistants and 12 Khalasis are involved in various activities of GFCC.

All the Group 'A' posts and the posts in the grade of Assistant Director-II in Group 'B' are from the Central Water Engineering Group A & B Services respectively.

1.8 Vigilance and Disciplinary Cases

No vigilance or disciplinary case concerning any officer or staff was pending in the Commission during the year 2011-2012.

1.9 Parliament Questions and VIP References

1.9.1 Material for reply to 53 parliament questions was prepared during the year and sent to the Ministry of Water Resources.

1.9.2 Material for reply to 11 VIP references was prepared and sent to the Ministry of Water Resources during the year.

GANGA FLOOD CONTROL COMMISSION
ORGANISATION CHART

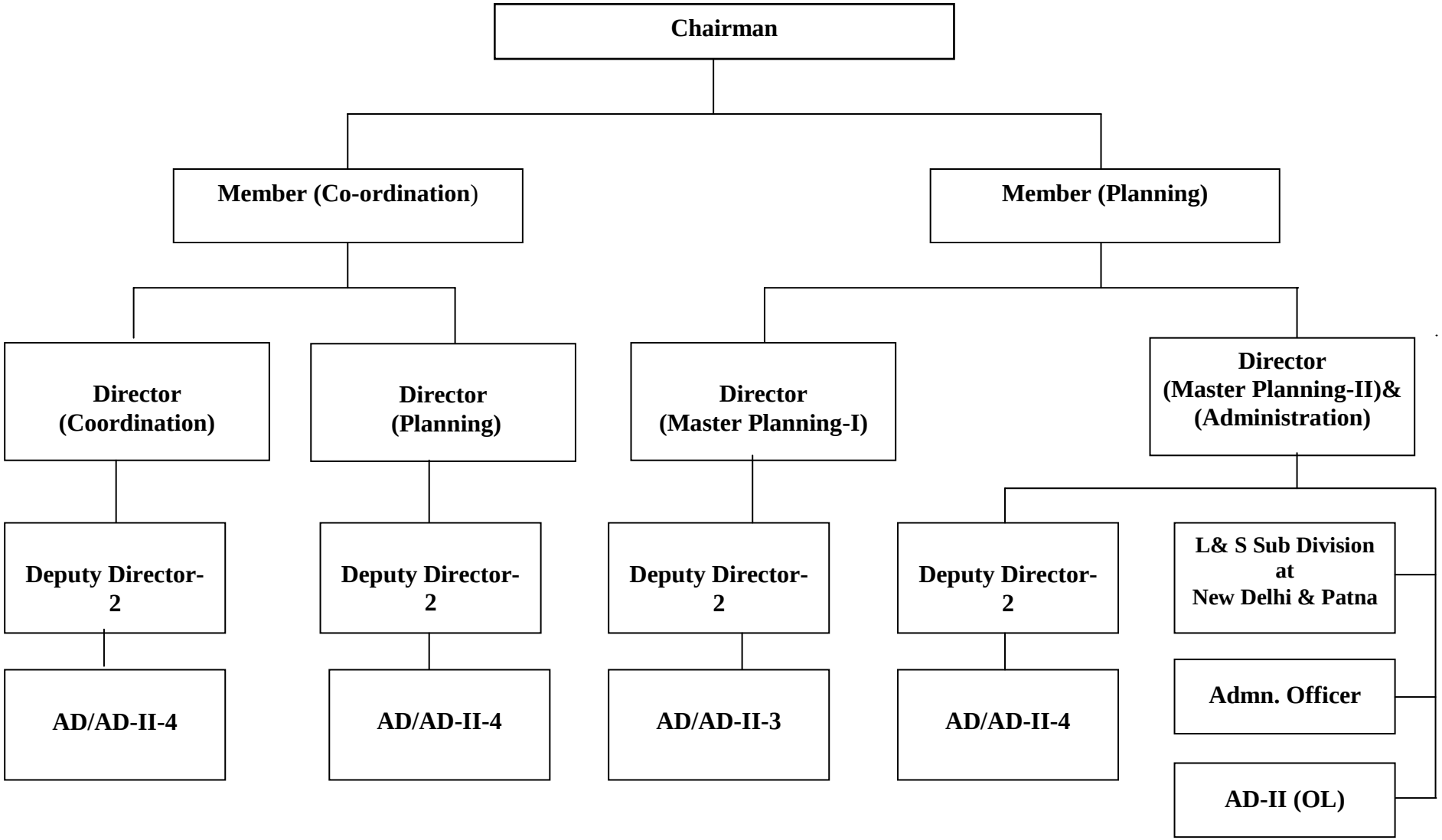

1.10 Implementation of RTI ACT, 2005

Ganga Flood Control Commission has implemented the directions as indicated in the RTI Act, 2005. The Commission has compiled and published manuals under clause 4(1)(b) of the Act and displayed them on the Website http://gfcc.bih.nic.in. The manuals provide all relevant information as required under the Act.

The Ganga Flood Control Commission has also designated one Appellate Authority, one Central Public Information Officer (CPIO) and 4 Assistant Public Information Officer (APIO) to look into the requests made by the applicants and supply the information within stipulated time as provided in the Act. The names of the officers as on 31.03.2012 are as follows.

1	Sh.S. Masood Husain, Member (Coord.)	Appellate Authority
2	Sh. Ravi Bhusan Kumar, Director(MP-II)	Central Public Information Officer
3.	Sh. A.K.Sinha , A.D (C)	Asstt. Public Information Officer
4	Sh. Harsh Vardhan, AD (MP-I)	Asstt. Public Information Officer
5	Sh.M.Q. Jamal, AD-II (MP-II)	Asstt. Public Information Officer
6	Sh. S.K. Chaurasia, AD-II (P)	Asstt. Public Information Officer

During the year 2011-12 twenty six requests were received in GFCC through MOWR which were promptly replied directly to the applicant.

1.11 Financial Aspect

An expenditure of Rs. 478.03 lakh was incurred by GFCC during the year 2011-12. A statement showing sub-headwise final estimate and actual expenditure during 2011-12 is given below:

(Amount in Rs.)

S.No.	Head of account	Final Estimate 2011-12	Expenditure 2011-12
1	Salary	3,92,84,000	3,89,41,900
2.	Medical	1,50,000	1,24,886
3	Domestic Travel Expenses	23,00,2000	22,19,854
4	Foreign Travel Expenses	1,50,000	1,18,959
5	Office Expenses	6,00,000	5,41,714
6	Minor Works	44,00,000	44,18,988
7	Machinery & Equipment	14,50,000	14,36,446
8	Over Time Allowances	10,000	0
	TOTAL	**4,83,44,000**	**4,78,02,747**

*****

2 Comprehensive Plans for Flood Management

2.1 Preparation of Comprehensive Plans for Flood Management

In the Ganga basin area covering eleven States, floods in some part or the other are an annual feature. On account of the inadequacy of the protection works carried out so far, large scale damage due to floods often occurs. It was therefore felt necessary to prepare an integrated plan to tackle the floods, erosion and drainage problems in the basin and implement it in a coordinated manner. It was with this in view that GFCC was set up to prepare Comprehensive Plans for flood management for the Ganga basin. The entire Ganga basin is divided into 23 river systems and comprehensive plans for flood management of all these river systems have been completed between 1975 and 1990. These comprehensive plans were then circulated to the State Governments concerned for preparing specific schemes for implementation in order of priority.

2.2 Updating of Comprehensive Plans for Flood Management

Due to changes in the behaviour of the rivers in the Ganga basin and for other reasons, it was considered necessary to update the Comprehensive Plans for flood management of all the river systems. This work was started in 1986 and till March, 2012, GFCC has updated comprehensive plans for twenty two river systems.

The updated comprehensive plans were also circulated to the State Governments concerned for further follow-up action.

During the year 2011-12, the updating of Comprehensive plans of the Kosi and Rupnarain-Haldi-Rasulpur river system was under progress.

2.3 Monitoring of Floods and Preparation of Flood Reports

The flood situation in the year 2011 in Ganga Basin States was monitored and 18 weekly reports were sent to the Ministry of Water Resources.

The state-wise summary of flood situation during 2011 in Ganga Basin States is as under:

Rainfall

The rainfall during the monsoon period during the year has been normal in almost entire Ganga basin. The areas lying in the Meteorological Sub-divisions West and East Rajasthan and West Madhya Pradesh had received excess rainfall during the monsoon period

Flood situation in rivers in Ganga Basin

According to data received from Central Water Commission, the State-wise flood situation in rivers was as under:

Uttar Pradesh: The River Ganga at Ballia, Gazipur, Haridwar and Fatehgarh; River Ghaghra at Elign Bridge, Ayodhya, and Turtipar; River Sharda at Palia Kalan; and River Yamuna at Mawi and Mathura, were reported to flow beyond danger level during the monsoon months.

Bihar: The River Ganga at Buxar, Gandhighat, Hathidah and Bhagalpur; River Kosi at Basua and Baltara; River Sone at Maner; River Punpun at Sripalpur; River Bagmati at Benibad; River Mahananda at Dhengraghat; Kamla Balan at Jhanjharpur and Adhwara Group rivers at Kamtaul were reported to flow above the danger level during the monsoon months. The River Sone had received unprecedented flood with a maximum discharge of 9.58 lakh cusecs at Indrapuri Barrage.

West Bengal: River Ganga at Farakka, River Mayuarakhshi at Mahro and River Kangsbati at Phulberia were reported to flow above the danger Level during the monsoon months.

Jharkhand: River Ganga at Sahebganj and River Damodar at Ramgarh were reported to flow above the danger level during the monsoon months

There was no report of river flowing above danger level from other Ganga basin States.

Flood Damage

As per the report of Disaster Management Division, Ministry of Home Affairs,. about 82.74 lakh people were affected by the flood during 2011 in the Ganga Basin States. A total loss of 309 human lives and 1783 cattles was reported in the region. A total no. of 547209 houses were reported to be partially / fully damaged. The crops in an area of about 12.31 lakh Ha. was also reported to be damaged. The total loss due to flood is reported to be Rs. 96220 Lakhs. It may be noted that damage in UP was not indicated in the above report.

*****

3 Assessment of Adequacy of Waterways under Road and Rail Bridges

3.1 One of the functions of GFCC is the preparation of reports on adequacy of waterways under the road and rail bridges. GFCC has often been called upon to examine the adequacy or otherwise of the waterways under existing rail and road bridges by the Ministry of Railways and also by the Ministry of Road Transport and Highways. This exercise is aimed at determining additional waterways required for reducing drainage congestion to a reasonable limit. This activity which commenced during the later half of the eighties has been completed except for the some stretches of the Ganga main stem.

These reports have also been circulated to the Ganga basin States and departments of Central and State Governments concerned for follow up action.

*****

4 Flood Management Programme

Due to unprecedented floods in Bihar, Assam and West Bengal and consequent large scale damages in these States in the year 2004, Government of India under the direction of Hon'ble Prime Minister of India, keeping in view the seriousness of the flood problem and consequently the grave situation created on the ground, constituted a Task Force for Flood Management/Erosion Control headed by the Chairman, Central Water Commission, New Delhi to look into the problem of recurring floods in Assam and neighbouring states as well as Bihar, West Bengal and Eastern Uttar Pradesh in August 2004. The Task Force deliberated upon various issues relating to floods in these States and taking into account the prevailing situation on the ground, suggested various measures for controlling flood/erosion. The report of the Task Force was submitted to the Ministry of Water Resources in December, 2004.

Keeping in view the recommendations of Task Force and other similar Committees, a plan scheme titled Flood Management Programme amounting to Rs.8000 crore under the state sector was drawn up for implementation during the XIth Plan period. This plan scheme covers the works of flood management, river bank-erosion, sea erosion, drainage development and flood proofing. The financial approval of the individual schemes is given by an Empowered Committee headed by the Secretary (Expenditure), Ministry of Finance, Govt. of India after taking into consideration the critical and emergent situation and availability of annual budget/plan outlay and provision of State share and Central share by the respective State Govts. Besides Ministry of Finance the Committee has representatives from the Ministry of Water Resources, Ministry of Development for North Eastern Region (DONER), Ministry of Environment & Forests and Planning Commission.

The detailed schemes for flood management are formulated and submitted by the implementing States to the concerned appraising agency for techno economic appraisal as per the prevailing guidelines laid down by the Planning Commission.

The central assistance is provided to the State Govts. on the following funding pattern:

(i) For special category States – 90%.
(The special category States cover the North Eastern States, Sikkim, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Uttarakhand)

(ii) For non-special category States – 75%.

(iii) For restoration of damaged works, the central assistance can be provided upto 90%.

Financial and physical management, quality control, timely completion of the work etc. are the responsibility of the State Government/ implementing agency.

The schemes under flood management programme are to be monitored by the Central Water Commission (CWC), Ganga Flood Control Commission (GFCC) and Brahmaputra Board (BB) in their respective jurisdiction. The Department of Space / NRSC are also associated in monitoring of physical progress of the works through remote sensing techniques.

After the completion of work, performance evaluation studies are conducted by independent agencies in consultation with CWC/GFCC/Brahmaputra Board as the case may be.

Schemes taken up for execution State wise with their status:

The details of the FMP schemes taken up (State wise) and their progress during the XIth Plan are given below:

Sl. No	**State**	**No. of schemes approved**	**No. of schemes completed**	**No. of schemes under progress during 2012-13 (spillover schemes)**
1	Bihar	46	33	10#
2	Jharkhand	3	1	2
3	West Bengal	11	6	4*
4	Uttar Pradesh	24	6	18
5	Uttarakhand	12	4	8
6	Himachal Pradesh	1	-	1
	Total	**97**	**50**	**43**

Two schemes of Bihar dropped by EC- FMP and one scheme foreclosed
* One scheme of West Bengal withdrawn by the State Government

*****

5 Appraisal of Flood Management Schemes

5.1 Techno-economic appraisal of flood management schemes received from the Ganga basin States is an important activity of GFCC. Schemes estimated to cost between Rs. 7.5 crore and Rs.15 crore are examined by GFCC for their techno-economic viability and, if found acceptable, are cleared by GFCC itself and recommended to the Planning Commission for investment clearance. Schemes costing less than Rs. 7.5 crore are cleared at the State level by the State Flood Control Boards. Schemes costing above Rs. 15 crore if found acceptable , after appraising them for their techno-economic viability are recommended by GFCC, to the Advisory Committee of the Ministry of Water Resources for Irrigation, Flood Control and Multi Purpose Projects for clearance.

Normally, GFCC does not examine schemes costing less than Rs. 7.5 crore. However, in special cases, such as schemes on emergent flood protection works in the Eastern Sector on common / border rivers with Bangladesh, Ministry of Water Resources, Government of India issued an instruction that GFCC would scrutinize such schemes on the common / border rivers with Bangladesh and make recommendations to MoWR for release of funds. In addition, all Central sector schemes irrespective of cost are however examined from techno-economic aspect in GFCC.

5.2 The details of schemes examined during 2011-12 and their status are given below:-

S. No	Name of Scheme	Estimated Cost in Rs. Lakh	Status
	Bihar		
1	Bank protection works from Ismailpur to Bindtoli in d/s of Bikramsheela Bridge on the left bank of river Ganga in Bhagalpur district.	2339.00	Scheme cleared techno-economically
2	Bagha Town Protection Works (Phase-I) on the left bank of river Gandak in West Champaran district of Bihar	4891.00	-do -

S. No	Name of Scheme	Estimated Cost in Rs. Lakh	Status
3	Raising and strengthening of Adhwara and Khiroi left embankment from RD 0.0 km to RD 43.60 km and from RD 44.00 km to RD 90.50 km and right embankment from RD 0.0 km to RD 81.50 km in Sitamarhi, Madhubani and Darbhanga districts of Bihar	16703.00	- do -
4.	Anti Erosion work in between 0.00 km to 35.00 km of Pipra-Piprasi embankment and 0.00 km to 6.68 km of GH portion of PPE.	1460.655	-do-
5	Raising and strengthening of Sanha Gorgama embankment from 0.00 km to 21.30 km	347.57	-do-
6.	Anti Erosion work with construction of Retire embankment (3.50 km) with one no. of Anti flood sluice & Ten nos. of submersed bed bar (21 m x 9 m) of left edge of Ganga river from Chharamari to Jhabbutola under Katihar district.	998.34	-do-.
7.	Restoration and Gap closure with 3 nos. major A.F.S (in between 53.90 to 54.18), 64.37 km and 90.52 km of B.K.G embankment	3704.40	Scheme examined & observations sent to State Govt.
8.	Mahananda Flood Management Scheme Phase-II	41584.00	- do -
9.	Bagmati Flood Management Scheme Phase-III	49714.00	Scheme under examination
	West Bengal		
1.	DPR for improvement of embankments and ancillary works in Kandi and other adjoining area of district-Murshidabad	43894.00	Scheme cleared techno-economically
2.	Master Plan and DPR for Ghatal and adjoining area	174000.00	Scheme examined & observations sent to State Govt.
	Uttar Pradesh		
1	Project Estimate to check flow/ erosion of river Ganga into Burhi Ganga near Nagla Dal in the district of Kansi Ram Nagar of Uttar Pradesh	877.79	Scheme cleared techno-economically

S. No	Name of Scheme	Estimated Cost in Rs. Lakh	Status
2	Revised project for construction of Karmahna- Bhojpur bund along left bank of river Rapti in Balrampur district	1179.09	-do-
3	Scheme for protection of Ballia Bairia bund between km 24.650 to km 25.900 in Ballia district	775.83	-do-
4	Scheme for construction of balance work of embankment (under construction) from Aiera Bridge to Ambarpur along left bank of river Sharda in Lakhempur Kheri district.	2374.00	-do-
5	Project for flood protection works along left bank of river Ramganga in dist. Bareilly.	1441.27	Scheme examined & observations sent to State Govt.
6	Scheme for flood protection works along Kho river in district Bijnore	1450.00	-do-
7	Project for protection of Abadi and residential area from flood on right bank of river Ganga from d/s of right guide bund to Ranighat in Kanpur district.	1525.70	-do-
8	Scheme for construction of anti erosion works between Bridge no 97 and Spur no 0 of Bheera – Palia Railway line along left bank of river Sharda in Lakhempur Kheri district.	1883.11	-do-
9	Scheme for construction of balance work of embankment (under construction) from Sharda Nagar to Aiera Bridge along left bank of river Sharda in Lakhempur Kheri district.	2650.42	-do-
10	Revised project for construction of Elgin Bridge- Charsari bund along river Ghaghra in the districts of Bahraich, Gonda and Barabanki.	2026.00	-do-
11.	Project for flood protection works between km 0.500 to km 0.900, km 1.600 to km 1.970, & km 7.500 to km 7.800 of Bokta- Barwar bund in the district of Gorakhpur along right bank of river Rapti including brick on edge soling work between km 0.000 to km 11.250.	1343.58	-do-
12	Scheme for flood protection works to protect villages situated on the left bank of river Gerua in Bahraich district	5385.62	-do-

S. No	Name of Scheme	Estimated Cost in Rs. Lakh	Status
13	Project for balance work of Jalimnagar-Ambarpur bund along right bank of river Ghaghra in Lakhimpur Kheri district.	5373.00	-do-
14	Project estimate for anti erosion works on Bhainsar Dhai Ghat Additional bund on the left bank of river Ganga near village Dabru Nagla in the district of Shahjahanppur	1140.00	-do-
15	Revised project estimate for remodeling of Quila Mohammadi Nagar Drain in Lucknow district.	14275.93	-do-
16	Project for flood protection works between km 2.00 to km 2.40 of Dooha- Kathouda Ring Bund along left bank of river Ghaghra in the district of Ballia	844.37	-do-
17	Revised project estimate for construction of Mewa Lal Talab Dipwa (MLTD) bund along right bank of river Rapti in the districts of Balrampur.	1007.03	-do-
18	Revised project estimate for construction of retired bund between km 13.600 to km 15.00 of Sakraur Bhikharipur Ring bund including along left bank of river Saryu/Ghaghra in Gonda district	1703.74	-do-
19	Project for anti erosion works between km 10.500 to km 11.700 of Karmahna- Bhojpur bund to protect Rajwarpur along left bank of river Rapti in the district of Balrampur.	836.64	-do-
20.	Flood protection works between km 26.700 to km 27.100 of Ballia – Bairia bund and construction of fork spur at km 26.700 along left bank of river Ganga in district Ballia.	878.58	-do-
21.	Project for renovation of Colector Sadhu Jeevpur bund between km0.000 to km 34.000 along left bank of river Ganga in districts Badaun and J P Nagar.	2930.51	-do-
22.	Scheme for construction of marginal embankment along left bank of Gomti from Ataria-Khanipur road to Chandrika Devi-Mall Road from km 0.00 to km 12.600 in Lucknow district.	1470.35	-do-

S. No	Name of Scheme	Estimated Cost in Rs. Lakh	Status
23	Scheme for flood protection works near villages Khalinawada, Shivpuri & Nagaria Kalan Khurd on left bank of river Ramganga in district Bareiilly.	757.64	-do-
24	Scheme: Project estimate for flood protection works of Ushet Tat bund from km 12.700 to km 14.00 on left bank of river Ganga in Badaun district.	931.49	-do-
25	Flood protection works of historical village Karnvas situated on right bank of river Ganga in Bulandshahar district.	1374.00	-do-
26	Flood protection works between dampener DS-2 to Sewerage treatment plant situated in downstream of Anupshahar town on right bank of river Ganga in Bulandshahar district.	1214.00	-do-
27	Revised project estimate for construction of Mahadewa-Uska bund along right bank of river Kunra in the district of Siddharthnagar	2776.00	-do-
28	Project estimate for anti erosion works between km 0.650 of Main bund to km 13.600 of Sakraur Bhikharipur Ring bund along left bank of river Saryu/Ghaghra in Gonda district.	4151.00	-do-
29	Scheme for construction of marginal embankment upstream of Elgin Bridge along right bank of river Ghaghra in districts Barabanki.	17008.00	-do-
30	Flood protection works between km 19.50 to km 21.00 of Alinagar – Ranimau bund along right bank of river Ghaghra in district Barabanki.	1467.00	-do-
31	Combined scheme for 9 flood protection schemes of Ghaghra river basin in the district of Basti.	8024.00	-do-
32	Scheme for construction of marginal embankment along left bank of Gomti from Ataria-Khanipur road to Chandrika Devi-Mall Road km 0.00 to km. 12.600	1470.35	-do-
33	Scheme for flood protection works along left bank of river Ghaghra in Dewaria district.	1701.72	-do-

S. No	Name of Scheme	Estimated Cost in Rs. Lakh	Status
34	Scheme for construction of Ramganga embankment from Kothiwal Dental college to Bypass Road Bridge along right bank of river Ramganga in district Moradabad.	13416.00	-do-
35	Project for construction of pump house for pumping out flood water of Banda city by river Ken in Banda district.	1857.00	Scheme under examination
36	Project estimate for construction of Bairia-Sarya bund along right bank of river Rapti in the district of Gorakhpur.	3306.28	-do-
37	Scheme for raising & strengthening of Majhauli Chandauli bund, Khairat Raibari bund & its 2 km extension, Kukurghati Bhingari bund & its 1.5 km extension in district Deoria and raising & strengthening of (-) 1027 km extension of Rajpur Barhara bund in district Kushinagar	1493.01	-do-
	Uttarakhand		
1	Flood protection of village Ruhada(Haripur) from Yamuna river in tribal block Kalsi, district-Dehradun	1043.00	Scheme cleared techno-economically
2	Flood protection scheme for Indra Colony in villages Kalsi from Amlawa river in tribal block-Chakrata, district-Dehradun	793.00	-do-
3	Flood protection works under four flood schemes along river Ripsana and its tributaries in district Dehradun	920.90	-do-
4	Flood protection works under three flood schemes along river song and its tributaries in district Dehradun	869.60	-do-
5	Project for flood protection scheme on Kali river and its tributaries in Pithoragarh district	794.32	Scheme examined & observations sent to State Govt.
6	Flood protection scheme on river Kosi and Dhela (Tributaries of Ramganga river)	1231.39	-do-

Summary status of appraisal of schemes

State	Schemes cleared	Schemes examined & observations sent to State Govt	Schemes under examination
Bihar	6	2	1
Jharkhand	-	-	-
West Bengal	1	1	-
Uttar Pradesh	4	30	3
Uttarakhand	4	2	-
Himachal Pradesh	-	-	-
Total	**15**	**35**	**4**

*****

6 Monitoring of Ongoing Flood Management Schemes

GFCC monitors flood management schemes under Central funding for their physical and financial progress and monitoring reports are sent to the Ministry of Water Resources regularly. During the year 2011-12, FMP schemes as per the details given below were monitored by GFCC officers and monitoring reports were prepared and sent to Ministry of Water Resources:

Sl. No.	Scheme Code	Name of Scheme	Approved Cost (Rs. in Lakh)
Bihar			
1	BR-1	Raising and Strengthening of Kamla embankment	5209.26
2	BR-19	Khagaria Town Protection Scheme Part-II	1339.18
3	BR-20	Khagaria Town Protection Scheme Part-III	550.86
4	BR-31	Raising and Strengthening of Kosi embankment	33939.00
5	BR-32	Raising, Strengthening and extension of Bhutahi Balan embankment	3714.00
6	BR-36	Anti erosion work between Ch.135-160 (Sector-B) near village Kewatia 143-160.38 Ch. Near village Majharia and 1491-1505.75 Ch near village Nainijore (Sector-C) of BKG embankment on right bank of river Ganga in district Bhojpur and Buxar	755.05
7	BR-38	Mahananda flood management scheme (Phase-I of already approved DPR for Mahananda basin for Rs.603.88 crore)	14968.80
8.	BR-42	Raising and strengthening of Lower Noon embankments including brick soling road and other auxilary works.	2671.00
9.	BR-43	A/E works with breach closure at 20.98 km (Ch. 688) of Lawa Chaukia Paharpur near Govindpur r/e of Mahananda river and R/S of Ajam Nagar ring bund from 0 km to 2.58 km (84.50 Ch) with 0.20 m thick brick soling on top of left embankment of Mahananda river.	1117.42

Sl. No.	Scheme Code	Name of Scheme	Approved Cost (Rs. in Lakh)
10.	BR-45	Anti-erosion work at Koerpatti village between 27 to 32 mile of P.D ring bundh of Gandak river & raising and strengthening between 27 to 32 mile of P.D ring bundh in the district of West Champaran	1980.00
Jharkhand			
1	JHK-1	Restoration , breach closure and protection work of right embankment of Siwaria Goregama scheme from Ch.0.00 to 855.00 along river Gerua	2012.00
2	JHK-2	Anti erosion work on the right bank of river Ganga at Narayanpur, Sahibganj district	927.00
3.	JHK-3	Anti-erosion work on the right bank of river Ganga from Budhwaria to Kanhaiyasthan, Sahibganj district	991.00
Uttar Pradesh			
1	UP-01	Construction of embankment along right side of Ami river from Kauriram to Khajni-Gorakhpur Road, district-Gorakhpur	1307.27
2	UP-02	Construction of embankment along left side of Ami river from Kauriram to Khajni-Gorakhpur road, District-Gorakhpur	1294.94
3	UP-14	Scheme for flood protection work on left and right bank of river Ganga in the district of J.P.Nagar, Shahjahanpur, Meerut and Bulandshahar	3241.70
4	UP-15	Scheme for flood protection work on left and right bank of river Rapti in districts of Sidharthnagar and Gorakhpur	6889.00
5	UP-16	Project for anti-erosion works to protect sensitive cluster of villages along right bank of river Ghaghra in district Lakhimpur Khere.	3040.00
6	UP-17	Project for anti-erosion work to protect sensitive cluster of villages along left and right bank of river Sarda in district Lakhimpur Khere	2504.00
7	UP-18	Scheme for flood protection work on left and right bank of river Yamuna in districts of Muzaffar Nagar, Baghpat, Ghaziabad, Gautam Budha Nagar, Aligarh and Mathura	4380.00

Sl. No.	Scheme Code	Name of Scheme	Approved Cost (Rs. in Lakh)
8	UP-19	Scheme for flood protection work on right bank of river Kho and Kosi and left and right bank of river Ramganga in Bijnor and Moradabad districts	1165.00
9	UP-20	Scheme for flood protection work on left and right bank of river Hindon in districts of Baghpat and Gautam Budha Nagar.	1432.20
Uttarakhand			
1.	UK-01	Construction of Right Marginal bund from Bhogpur to Balawali	2069.49
2	UK-03	Construction of embankment along song river to protect village-Hilaswali,, Maldeota, Chakjogiwala, Sahabnagar & Khadri, district-Dehradun	747.11
3	UK-04	Flood protection work of village Behrugram, Minyawala and Sunderwala along Dulhani river in district-Dehradun	566.60
4	UK-05	Flood protection scheme in district-Nainital & district-Udham Singh Nagar to protect chorgalia & Sitarganj area by Nandhor river & its tributaries	1423.87
West Bengal			
1	WB-01	Improvement of South Saraswati river (both upper & lower portion) from Ch 0.00 (offtale) at Nasibpur, district-Hooghly to Ch.141.00 (outfall at Sankrail	3210.00
2	WB-09	Raising and strengthening of survey damaged Sunderban embankment at Mauza Haripur Taltala and Mouza Indrapur along in P.S Namkhana and in P.S Pather Pratima (total length-1130m)	463.57
3	WB-11	Raising & strengthening of Sunderban embankment at Mouza 7 nos. Sonakhali along R/B and L/B of river Hugal near Basanti Bazar and at Mouza-Chandipur confluence point of river Bidya and at Kartal along L/B of river Mridangabhanga at Mouza-Maheshpur and along R/B of river Thakuran in Mouza-Purba Sripathnagar	1085.18

Sl. No.	Scheme Code	Name of Scheme	Approved Cost (Rs. in Lakh)
4	WB-12	Raising & strengthening of Sunderban embankment at Mouza Patibonia (in AB & BC, CD & DQ reach)facingt Bay of Bengal. (L720m)	1498.61
5	WB-14	Project for bank protection work along both banks of river Bharigathi at Sunderpur and Basantpuram Kaziparato Nabagram and Saharbatito Uttarasan Outfall in the district of Murshidabad and at Sanyalchar in the district Nadia	2366.00
6.	WB-15	Scheme for bank protection works along the right of river Ganga-padma at Ichalipara, Moya, Galadarya, Pachim Beechpara (Bamnabad in district Murshidabad and Basumari in district Nadia	2813.00

Based on the monitoring reports and recommendation of GFCC, the Ministry of Water Resources released a total amount of Rs.332.63 crore to the State Governments of Bihar, Jharkhand, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh and West Bengal during 2011-12. The total fund released upto 2011-12 under the Flood Management Programme is Rs. 1683.00 crore. The break up is given below:

(Amount in Rs Crore)

Sl. No	State	Approved Central Share	Amount Released in 2011-12	Total amount released during XI Plan (2007-12)
1.	Bihar	1089.92	178.80	680.79
2.	Jharkhand	29.48	6.54	17.07
3.	Uttarakhand	104.62	22.99	49.62
4.	Himachal Pradesh	31.21	-	16.20
5.	Uttar Pradesh	458.15	72.51	254.42
6.	West Bengal	1349.81	51.79	629.47
7.	Xth Plan Spill over	-	-	35.43
	TOTAL	**3063.19**	**332.63**	**1683.00**

*****

7 River Management Activities & Works related to Border Areas

During the XI Plan period, Ministry of Water Resources has undertaken a plan scheme titled "River Management Activities and Works related to Border Areas" for water resources development and flood management activities. The scheme includes provision for taking up maintenance of flood protection works of Kosi and Gandak projects and bank protection works on common/border rivers between India and Bangladesh.

7.0 Maintenance of Flood Protection Works on Kosi and Gandak Projects

7.1 Protection Works on Kosi

The Kosi High Level Committee (KHLC) was constituted by the then Irrigation Deptt. Government of Bihar in the year 1978 under the Chairmanship of Chairman, GFCC to review/examine the protection works already executed on the river and recommend protection measures to be taken before the next flood season. Since then the Committee is inspecting every year the protection works taken up on the river and is making recommendations regarding protection work to be executed on the river before the next flood season. The State Government executes the schemes on the basis of the recommendations of the Committee.

The present Composition of the Committee is given below:

1.	Chairman, GFCC, Patna.	Chairman
2.	Member (River Management), Central Water Commission, New Delhi or his representative	Member
3.	Director, CWPRS, Pune or his representative.	Member
4.	Engineer-in-Chief (North), Water Resources Deptt., Government of Bihar.	Member
5.	Chief Engineer, Water Resources Deptt., Government of Bihar,Darbhanga.	Member
6.	Chief Engineer (Research), Water Resources Deptt., Government of Bihar, Khagaul.	Member

7.	Chief Engineer (Hydrology & Project Planning), Water Resources Deptt., Government of Bihar.	Member
8.	Director, Eastern Region, Water Resources Deptt., Govt. of Nepal, Biratnagar.	Member
9.	Dy. Director General, Water Resources Deptt. ,Govt. of Nepal, Kathmandu.	Member
10.	Chief Engineer, Water Resources Deptt., Government of Bihar, Birpur.	Member-Secretary

Like in previous years, the KHLC inspected the protection works in October 2011 and recommended works to be carried out before the floods of 2012.

The expenditure incurred by Government of Bihar on protection works in Nepal, is reimbursed in full by Government of India under a central scheme. The reimbursement is made based on the expenditure statement received from the Government of Bihar for the amount involved in protection of the river Kosi in the Nepal portion.

7.2 Protection Works on Gandak

A similar Committee for the river Gandak namely Gandak High Level Committee (GHLC) was initially constituted by the then Ministry of Irrigation, Govt. of India vide office memorandum No.10/12/80-FC dated 12th November, 1981 to evaluate the performance of flood protection works on the right bank of the river Gandak in the States of Uttar Pradesh and Bihar during 1981 floods, to guide and advise construction activities in the two States and to suggest programme of works for the year 81-82. The term of the committee was extended from time to time. This Committee has been renamed as Gandak High Level Standing Committee (GHLSC) vide Ministry of Water Resources letter No. 5/15/2002-ER/Ganga /1219-27 dated 21.03.2006.

The terms of reference of the Committee are:

- To review the flood control and anti-erosion works so far executed by the State Governments of U.P and Bihar and evaluate their performance during the floods.

- To recommend a programme of works which could be executed by the two States in a coordinated manner.

- To guide the construction activities in the States and advise on the steps to be taken to get over any difficulties that may arise with a view to ensure that all the necessary works are completed by the States latest by June each year.

The Chairman, GFCC is the Chairman of the Committee. The composition of the GHLSC is given below:

1.	Chairman, GFCC, Patna	Chairman
2.	Engineer-in-Chief, Water Resources Deptt., Government of Bihar.	Member
3.	Engineer-in-Chief, Irrigation Department, Government of U.P.	Member
4.	A Representative from Central Water and Power Research Station, Pune.	Member
5.	Chief Engineer (Research), Irrigation Research Institute, Government of Bihar, Patna.	Member
6.	Director, Irrigation Research Institute, Government of Uttarakhand (Roorkee).	Member
7.	Director(Co-ordination), GFCC, Patna.	Member-Secretary

Since its constitution, 44 meetings of the Committee have been held upto 2011-12 and recommendations were made for protection works to be executed before the next floods. The respective State Govts. executed the works as per recommendations of the Committee.

During the year 2011-12, the meeting/site inspection by the Committee was held in the month of October, 2011 and recommendations were made for the works to be carried out before the floods of 2012. The expenditure made by Government of U.P.in Nepal portion for maintaining the flood protection works on the right bank of the river Gandak is reimbursed by the Government of India.

7.3 Schemes on Common/Border rivers in West Bengal

India shares 54 rivers with Bangladesh. At many places, these rivers have a tendency to shift their course by eroding the banks on either side. Sites of active erosion are identified by both the countries and the bank protection works for such sites are finalized by consultation among the two countries.

Twenty four (24) such sites have been identified in Ganga Basin, which lie on seven rivers, namely, Mahananda, Nagar, Punarbhaba, Atrai, Kulik, Karatowa and Tangon. Irrigation and Waterways Department, Government West Bengal is taking up bank protection work for such sites under the above plan scheme.

A total of 13 schemes for bank protection works at the above 24 sites on common/border rivers have been taken up by the State Govt. with funding under the Central Plan scheme "River Management Activities and work related to Border rivers". Out of this, seven (7) nos. of schemes have been completed so far.

In addition, a scheme for de-silting of river Ichamati along the Indo-Bangladesh Border has also been taken up and completed.

The year-wise status of funding under the above mentioned plan scheme is as under:-

(Rs. in crore)

Sl. No.	State	Amount released in 2007-08	Amount released in 2008-09	Amount released in 2009-10	Amount released in 2010-11	Amount released in 2011-12	Total
1	West Bengal	NIL	NIL	17.51	71.31	39.49	128.49

*****

8 Cooperation with Neighbouring Countries

8.1 India-Nepal Cooperation

Several rivers like the Gandak, the Bagmati, the Kamla, the Kosi etc. originate in Nepal and flow through the hilly tracts of Nepal before entering the plains of India. Heavy rains in the upper reaches not only bring floods of large magnitude but also carry huge quantities of sediment to the plain reaches of India. Hence any measures to be taken up to alleviate the flood and silting problem are to be done in an integrated manner with proper co-ordination between the two countries. GFCC is playing a vital role in this context by providing all the technical know-how and guidance.

As floods in Bihar and U.P are generally caused by the rivers coming from Nepal, long term solution to the problem of flood lies in the watershed management and construction of multi-purpose projects with flood cushion in the upper reaches to achieve flood moderation. Since suitable sites to locate reservoir/dams to control the floods lie in Nepal, the construction of these dams/reservoirs on these rivers is subject to agreement with Govt. of Nepal.

Govt. of India is having continuous dialogue with the Govt. of Nepal to mitigate the devastation caused by the flood from the rivers coming from Nepal. In order to have interaction at higher level pertaining to the cooperation in the field of water resources including implementation of existing arrangement and better understanding , India-Nepal Joint Committee on Water Resources (JCWR) headed by the Water Resources Secretaries of both the countries is functioning with the manadate to act as umbrella committee for all other sub-committees and groups under it. So far five meetings of the JCWR have been held which covered the entire gamut of bilateral cooperation in the water resources sector including flood management aspects and issues regarding multi-purpose projects on rivers coming from Nepal like the Sapta Kosi, the Sun Kosi, the Pancheshwar multi-purpose projects and other related matters.

In order to prevent spilling of flood water from the Bagmati, the Kamla, Lalbakeya and the Khando rivers from Nepal side in the protected area in Bihar, both sides have agreed to extend the embankments along these rivers from the India-Nepal border to high grounds in Nepal with corresponding strengthening of embankments on the Indian side. The work relaing to this aspect is under various stages of implementation.

GFCC is also providing technical assistance by way of its officers leading or participating as members of the following Committees .

(1) Joint Standing Technical Committee (JSTC)

This Committee was constituted during the 3rd meeting of India-Nepal Joint Committee on Water Resources (JCWR) held from 29.09.08 to 01.10.08 at Kathmandu (Nepal). The function of JSTC is to coordinate the work of existing committees and sub-committees under the JCWR. The Constitution (Indian side) and terms of reference of the Committee are as under :

Sl. No.	Composition-Indian side	
1	Chairman, GFCC, Patna	Team Leader
2	Commissioner (Ganga), MOWR	Member
3	Joint Secretary (Hydro), Ministry of Power	Member
4	Chief Engineer (UGBO), CWC, Lucknow	Member
5	Chief Engineer (HP & I), CEA	Member
6	Director (North), MEA, New Delhi	Member
7	Representative from Embassy of India, Kathmandu	Member
8	Engineer-in-Chief (North), WRD, Govt. of Bihar	Member
9	Representative of Govt. of U.P	Member
10	Representative from Govt. of West Bengal	Member
11	Representative from Govt. of Uttarakhand	Member
12	Sr.Joint Commissioner, MOWR	Member-Secretary

Terms of Reference of JSTC

1. To coordinate all existing Committees and Sub Committees under the JCWR

So far three meetings of JSTC have been held. The last meeting was held in New Delhi on 13-14 September, 2011 in which various issues of bilateral concern were discussed and decisions taken.

(2) Joint Committee on Inundation and Flood Management (JCIFM)

This committee was constituted in the 4th meeting of India-Nepal Joint Committee on Water Resources (JCWR) held on 12-13, March, 2009 in New Delhi. This committee replaces the earlier bilateral committees namely SCIP, HLTC, JCFM, SCEC and SCFF. The Constitution (Indian side) and terms of reference of the committee are as under :

Sl. No.	Composition-Indian side	
1	Member (Coordination), GFCC, Patna	Team Leader

2	Chief Engineer, CWC	Member
3	Chief Engineer (WRD), Govt. of Bihar/Chief Engineer, Irrigation Department, Govt. of U.P/Chairman, North Bengal Flood Control Commission, Govt. of West Bengal	Member
4	Director (North), MEA, New Delhi	Member
5	Sr. Joint Commissioner, MOWR	Member
6	Representative of EOI, Kathmandu	Member
7	Director (MP-II), GFCC, Patna	Member-Secretary
8	Director (Finance), MEA/MOWR, New Delhi	Invitee

Terms of Reference of JCIFM

1. The JCIFM shall be an umbrella Committee to implement the decisions of JSTC in inundation and flood management issues.
2. The JCIFM shall address the issues related to flood management and inundation and can form task group(s), if required.
3. The JCIFM shall monitor the progress of works and provide guidance to task group(s) and report to JSTC.

So far six meetings of JCIFM have been held including two meetings during the year 2011-12. The last inspection / meeting was held in January, 2012 in Nepal in which various issues relating to inundation and flood management were discussed and decision taken.

8.2 India-Bangladesh Cooperation

The Indo-Bangladesh Joint Rivers Commission (JRC) was set up in November 1972 to discuss and sort out the issues related to common/border rivers between India and Bangladesh. The setup provides a platform for resolution of common problems related to developments works on common/border rivers, causing no harm to either side.

Under the aegis of above Commission, meetings are held at regular interval at various levels to discuss related issues. The decisions taken in such meetings are finally ratified by the Commission.

Various issues related to management of floods in common/border rivers have been discussed. The issues in respect of Ganga Basin under deliberations are summarized as under:

Bank Protection Works

Most of common/border rivers between India and Bangladesh traverse through alluvial plains and they keep on changing their curse due to meandering and erode banks on either side. Bank protection works are thus required to arrest

erosion at vulnerable points. The matter was discussed in the 36th meeting of JRC held in 2005 and at various subsequent occasions. Later in the Secretary (Water Resources) level meeting between India and Bangladesh held in August 2007, it was decided that bank protection works on identified sites could be taken up simultaneously on both sides within a time frame of three successive working sessions with similar specifications of works. The specifications of works to be undertaken were finalized in a technical level meeting held in December, 2009. As per the list exchanged between the countries, the bank protection works were proposed on 41 sites in India and 28 sites in Bangladesh. It was also agreed to add more sites as per requirement.

Dredging of river Ichamati

The matter related to dredging of river Ichamati to relieve its catchment from drainage congestion problem was discussed in various meetings since May 2005. As per the decisions taken in these meetings, the work for desiltation of river Ichamati from Bornoberia to BSF Bridge at Kalanchi (total length : 20.415 Km) was started in March, 2010. The scheme has been completed during 2011-12.

*****

9 Promotion of Use of Hindi

9.1 Progressive Use of Hindi

An Official Language Implementation Committee has been constituted in Ganga Flood Control Commission headed by the Chairman, GFCC. Both Members of GFCC and various Directors, Deputy Directors, Administrative Officer, P.S. to Chairman, Assistant Director (Gr.II), Hindi Translator and Branch heads from GFCC besides Dy. Director (Implementation), Official Language, Ministry of Home Affairs and one officer from Hindi Teaching Scheme are its members. Assistant Director (Gr-II) of the Commission is Member- Secretary of this Committee. The Committee is required to hold its meetings once every quarter. In these meetings, detailed discussions are held on the quarterly progress reports and emphasis is given on achieving the targets laid down in the annual programme. The Committee makes an assessment of actual position of progressive use of Hindi in day to day work of the Commission and suggest measures for removing the difficulties experienced at the working levels. During the year 2011-12, four meetings of the Committee were held.

Chairman, GFCC is a Member of Hindi Salahkar Samiti, Ministry of Water Resources and "Nagar Rajbhasa Karyanvayan Samiti", Patna. Chairman or a senior officer of the Commission participates in the meetings of above committee regularly.

9.2 Achievements

9.2.1 Achievements During 2011-12

During the year 2011-12 generally all office orders were issued in both languages i.e. Hindi and English. During the year 2011-12, out of 6504 letters issued by GFCC, 4221 were in Hindi. The region-wise break up is given below:

S. No.	Region	Total letters issued	Letters issued in Hindi
1	A	6351	4170
2	B	27	13
3	C	126	38
	Total	**6504**	**4221**

To increase the awareness of use of Hindi language, Hindi fortnight was organized from 12.9.2011 to 26.9.2011. Competition for Hindi Essay, Noting/ Drafting and General Hindi/ Knowledge was also organized among officials of the

commission during this period. After evaluation, prizes were distributed among the winners.

The following officials of the Commission were awarded prizes:

(a) Hindi Essay Competition		
S. No.	**Name/Post**	**Prizes**
1	Shri Rajeev Kumar Pandey, Stenographer Gr.I	First
2	Shri Satish Kumar, LDC	Second
3	Shri Amar Nath Jha, Draftsman Gr.I	Third
4	Shri Tapas Kumar Das, Stenographer Gr.I	Consolation

(b) Hindi Noting & Drafting Competition		
S. No.	**Name/Post**	**Prizes**
1	Shri Rajeev Kumar Pandey, Stenographer Gr.I	First
2	Shri Anand Kumar, Stenographer Gr.II	Second
3	Shri Amar Nath Jha, Draftsman Gr.I	Third

(c) General Hindi / Knowledge Competition (For "Grade- D" Staff only)		
S. No.	**Name/Post**	**Prizes**
1	Shri Balmiki Prasad, Khalasi	First
2	Shri Indradeo Paswan, Peon	Second
3	Shri Rameshwar Yadav, Khalasi	Third

(d) Incentive Scheme for doing work in Hindi (2010-11)		
S. No.	**Name/Post**	**Prizes**
1	Shri Tufail Ahmad, UDC	First
2	Shri Pappu Lal, LDC	Second
3	Shri Jitender Kumar, Head Clerk	Third

*****

10 Participation in Trainings, Workshops and Seminars

10.1 Training/Workshop/Seminar attended by GFCC officials :

During the year 2010-11, officers and staff of GFCC participated in various training programmes, workshops and seminars as per the details given below:

Sl. No.	Training Course/ Workshop/ Seminar	Dates	Name of Officers
1	Workshop on "Disposal of Appeal under RTI" at ISTM, New Delhi	11.4.2011	Sh. S. Masood Husain, Member (Co-ord.)
2.	Training programme on "Contract Management and Financial Procedures" at NWA, Pune	11.4.2011 to 15.4.2011	Sh. Ravi Bhushan Kumar, Director(MP-I) & Sh. G. K. Singh, AD-II
3.	Training Course on "Record Management for Right to Information" at ISTM, New Delhi.	18.4.2011 to 21.4.2011	Sh. M.E. Karim, AD-II
4	Presentation Workshop on "Renewable Energy Action Plan for Bihar" at Patna	27.4.2011	Sh. S. N. Tiwary, Director (P)
5.	Training on Microsoft Word at ISTM, Delhi	10.8.2011 to 12.8.2011	Sh. Pappu Lal, LDC Sh. L L Mahto, LDC & Sh. Satish Kumar, LDC
6.	Training on Microsoft Excel for Officer and Staff at ISTM, Delhi	03.9.2011 to 05.9.2011	Sh. Ramashish Singh, Jr. Computor & Sh. Dileep Kumar Singh, Jr. Computor
7.	Workshop on CPGRAMS	19.1.2012	Sh. U. K. Sharma, Dy. Director

*****

11 Representation of Ganga Flood Control Commission in Various Committees

Chairman, GFCC and other senior officers represent GFCC on various technical committees either as Chairman, Member-Secretary or as Members. The list of such Committees are as under

Sl. No.	Name of Committee/ Board/ Experts/ Technical Group etc.	Representation of GFCC	
		Officer	Position
1	Ganga Flood Control Board	Chairman, GFCC	Member-Secretary
2	Ganga Flood Control Commission	Chairman, GFCC	Chairman
3	Gandak High Level Standing Committee	Chairman, GFCC	Chairman
4	Kosi High Level Committee	Chairman, GFCC	Chairman
5	India-Nepal Joint Ministerial Commission on Water Resources (JMCWR)	Chairman, GFCC	Member
6	India-Nepal Joint Committee on Water Resources (JCWR)	Chairman, GFCC	Member
7	India-Nepal Joint Standing Technical Committee	Chairman, GFCC	Indian Team Leader
8	India Nepal Joint Committee on Inundation & Flood Management (JCIFM)	Member(C), GFCC	Team Leader
9	Indian-Nepal Joint Committee on Kosi & Gandak Projects	Member(C), GFCC	Member
10	National Institute of Hydrology Society	Chairman, GFCC	Member
11	U.P. State Committee of Engineers	Director, GFCC	Member
12	Bihar State Committee of Engineers	Director, GFCC	Member
13	West Bengal State Committee of Engineers	Director, GFCC	Member
14	M.P. State Committee of Engineers	Director, GFCC	Member

Sl. No.	Name of Committee/ Board/ Experts/ Technical Group etc.	Representation of GFCC	
		Officer	Position
15	Technical Advisory Committee of Farakka Barrage Project	Chairman, GFCC Alternate: Member(P), GFCC	Member
16	Farakka Barrage Project Advisory Committee	Member(P), GFCC	Member
17	Tender Committee of Farakka Barrage Project	Member(P), GFCC	Member
18	T.A.C. of Bihar	Director, GFCC	Member
19	T.A.C. of Uttar Pradesh	Director, GFCC	Member
20	T.A.C. of Himachal Pradesh	Director, GFCC	Member
21	T.A.C. of Haryana	Director, GFCC	Member
22	T.A.C. of Rajasthan	Director, GFCC	Member
23	Technical Committee of West Bengal State Flood Control Board	Director, GFCC	Member
24	TAC of Jharkhand	Director, GFCC	Member
25	TAC of Uttarakhand	Director, GFCC	Member
26	TAC of Chhattisgarh	Director, GFCC	Member
27	T.A.C. of Madhya Pradesh	Director, GFCC	Member
28	Yamuna Standing Committee	Member(P), GFCC	Member
29	Coastal Protection And Development Advisory Committee	Member(P), GFCC	Member
30	NNRMS Standing Committee on Water Resources (SC-WR)	Chairman, GFCC	Member
31	NIH Regional Coordination Committee for Ganga Plain North Regional Centre	Director, GFCC	Member
31	Water Resources Division Council of Bureau of Indian Standards	Chairman, GFCC Alternate Member-Member(C),GFCC	Member
33	River Training & Diversion Works Sectional Committee (WRD-22) of Bureau of Indian Standards	Director (MP-II), GFCC Alternate Member-Director (P), GFCC	Member

*****

बिहार में नून नदी पर तटबंध का निर्माण
Construction of embankment on river None in Bihar

बिहार में नून नदी के तटबंद पर एंटी फ़्लड स्लूइस का निर्माण
Construction of Anti Flood Sluice on embankment of river None in Bihar

माननीय जल संसाधन मंत्री श्री सलमान खुर्शीद की अध्यक्षता में15.5.2011 को नई दिल्ली में आयोजित गंगा बाढ़ नियंत्रण परिषद की 15वीं बैठक

Fifteenth meeting of Ganga Flood Control Board chaired by Shri Salman Khurshid, Hon'ble Union Minister (Water Resources) held on 15.5.2011 at New Delhi

श्री शंकर महतो, अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की अध्यक्षता में21.3.2012 को लखनऊ में आयोजित गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की 43वीं बैठक

43rd meeting of Ganga Flood Control Commission chaired by Shri Shankar Mahto, Chairman, GFCC held on 21.3.2012 at Lucknow

पश्चिम बंगाल में सरस्वती नदी पर बाढ़ प्रबंधन कार्यकर्म के तहत जलनिकासी के सुधार हेतु कराया गया कार्य

Drainage improvement work on river Saraswati under FMP in West Bengal

नेपाल में कमला नदी पर भारत सरकार के संपोषण से निर्मित कटाव अवरोधी कार्य(पत्थर का स्पर)

Anti-Erosion Works (boulder spurs) constructed on river Kamla in Nepal with funding from Government of India

पश्चिम बंगाल में पुनरभावा नदी पर भारत बांग्लादेश सीमा पर तट-सुरक्षा कार्य का निर्माण
Construction of bank protection works on river Punarbhaba on Indo-Bangladesh Border in West Bengal

भारत बांग्लादेश सीमा पर इच्छामती नदी के साझा/ सीमावर्ती भाग में गाद हटाने का कार्य
Works for Desilting of river Ichamati on common / border stretch on Indo-Bangladesh border in West Bengal